

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2016/ज्येष्ठ 9, 1938

No. 165]

NEW DELHI MONDAY, MAY 30, 2016/JYAISTHA 9, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2016

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के “1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन अथवा आर-134ए” के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच ।

सं. 15/23/2014-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने मेसर्स एसआरएफ लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य तथा जापान (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा

गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी प्रकार के “1,1,1, 2-टेट्राफ्लोरोईथेन” अथवा जिसे “आर-134ए” के नाम से भी जाना जाता है (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के आयातों के संबंध में दिनांक 19 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/24/2009-डीजीएडी द्वारा मूल पाटन-रोधी जांच शुरू की थी।

3. यतः मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/24/2009-डीजीएडी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किया गया था, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। तदनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 52/2010-सीमा शुल्क द्वारा चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे।

4. यतः मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10 मई, 2011 की अधिसूचना संख्या 14/24/2009-डीजीएडी द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किया गया था, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। तदनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 61/2011-सीमा शुल्क द्वारा चीन जनवादी गणराज्य और जापान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे।

5. यतः मूल जांच में मेसर्स एसआरएफ लिमिटेड, घरेलू उद्योग और भारत में संबद्ध वस्तुओं के एक मात्र उत्पादक (जिसे आगे याचिकादाता भी कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष विधिवत् अधिप्रमाणित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने चीन जनवादी गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने और उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने तथा पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के निरंतर पाटन होने अथवा पाटन की पुनरावृत्ति होने तथा उससे घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना का आरोप लगाया है। आवेदक ने केवल चीन जनवादी गणराज्य के खिलाफ लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने यह भी बताया है कि जापान से न तो कोई पाटन हो रहा है और न ही पाटन होने की कोई संभावना है। आवेदक ने चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के खिलाफ लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों को निरंतर जारी रखने तथा उसको बढ़ाने की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

ख. प्रक्रिया

6. प्राधिकारी द्वारा इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :-

- (1) प्राधिकारी द्वारा उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 19 अगस्त 2009 की जांच शुरूआत अधिसूचना की प्रतियां संबद्ध देशों के भारत स्थित दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग को प्रेषित की गई थीं। इस जांच से संबद्ध ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था। निर्यातकों को प्रेषित पत्र, याचिका तथा प्रश्नावलियों की प्रतियां, ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित संबद्ध देश के दूतावास को भी प्रेषित की गई थी और संबद्ध देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था।

- (2) नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रति ज्ञात निर्यातकों तथा संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध कराई गई थी ।
- (3) प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के बारे में जारी की गई सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों/संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रेषित की थी और उन्हें अवसर प्रदान किया था कि वे नियमावली के अनुसार पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने लिखित विचार प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दें :-
- (क) झेजियांग जुहुआ ग्रुप आई/ई कंपनी लिमिटेड
 - (ख) शानडोंग डोग्वायू केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (ग) साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड
 - (घ) जियांगसू कांगटाई फ्लोरीन केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (ङ) चांगसू 3 एफ झोंगाओ न्यू केमिकल मेटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
 - (च) झेझियांग फोटेक इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड
 - (छ) डु पोंट चाईना होल्लिंग कंपनी लिमिटेड
 - (ज) झेझियांग पुजियांग बेईलियान केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (झ) मितसुई डु पोंट फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड
 - (ञ) जियांगसू ब्लूस्टार एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन टेक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड
 - (ट) साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कंपनी लिमिटेड
 - (ठ) जियांगसू जिन क्यूई ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - (ड) जिनहुआ योंघे फ्लोरोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड
 - (ढ) झेजियांग सान्मेई केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- (4) वर्तमान जांच शुरू किए जाने के प्रत्युत्तर में चीन जनवादी गणराज्य से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :-
- (क) साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड
 - (ख) साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कंपनी लिमिटेड
 - (ग) झेजियांग सान्मेई केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ("सान्मेई")
 - (घ) झेजियांग कुझोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कंपनी लिमिटेड ("जुक्सिन")
 - (ङ) झेजियांग जुहुआ कंपनी लिमिटेड आर्गेनिक फ्लोर-केमिस्ट्री प्लांट
 - (च) झेजियांग कुझोऊ लियानझोऊ रेफरीजिरेट्स कंपनी लिमिटेड

- (छ) झेजियांग क्युहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री लिमिटेड
- (ज) केमोरस केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती डु पोंट ट्रेडिंग(शंघाई) कंपनी लिमिटेड)
- (5) बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन (एमईटी) की प्रश्नावली चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को संबद्ध सूचना प्रस्तुत कर दें। जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य पर विधिवत् समायोजन करने के बाद ही भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर विचार किया गया था, जिसके बारे में प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को सूचित किया था कि उनका यथा-संशोधित पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और पैरा 8 के आलोक में आवेदकों के दावों की जांच करने का प्रस्ताव है। इसलिए चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/उत्पादकों से यह अनुरोध किया गया था कि वे इस आशय की आवश्यक सूचना/प्रमाण प्रस्तुत करें कि क्या उन्हें चीन जनवादी गणराज्य में सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के लिए स्वीकृत किए जाने वाले बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन के बारे में विचार किया जा सकता है। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने, चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन (एमईटी) का खंडन करने के लिए प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- (6) नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के प्रयोजन से भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं/ऐसोसिएशनों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-
- (क) ई. आई. ड्यूपोंट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
- (ख) नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड
- (ग) स्टेलियन इंटरप्राईजिस
- (घ) वेल्यू रेफरीजरेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
- (ङ) मंगली पेट्रोकेम लिमिटेड
- (च) केपीएल इंटरनेशनल लिमिटेड
- (छ) रिफरेक्स रेफरीजिरेट्स
- (ज) केआईआरओ रेफरीजिरेट्स प्राईवेट लिमिटेड
- (झ) होनीवेल इंटरनेशनल (आई) प्राईवेट लिमिटेड
- (ञ) ओ. बी. फ्लोरो केम्स प्राईवेट लिमिटेड
- (ट) ब्रेन्नटॉग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
- (ठ) सिपला लिमिटेड

- (7) उपरोक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में केवल मेसर्स नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड ने क्षति के निवेदनो सहित आयतक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।
- (8) भारत में चीन के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं के चाईना चेम्बर ऑफ कामर्स ऑफ मेटल मिनरल्स एंड केमिकल्स इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स (सीसीसीएमसी) ने और घरेलू उद्योग ने क्षति संबंधी निवेदन किए हैं।
- (9) जिन निर्यातकों, उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में अपना कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही मौजूदा जांच से संबद्ध कोई सूचना प्रस्तुत की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- (10) आवेदन के चरण पर घरेलू उद्योग ने एकसीमकी आंकड़ों (द्वितीयक स्रोत) के आधार पर आयात के संबंध में सूचना प्रस्तुत की थी। उसके बाद घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंडएस से कारोबार-वार आयात के आंकड़े भी प्राप्त किए थे और उन्हें सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकारी को प्रस्तुत किए थे। तदनुसार ये आंकड़े सार्वजनिक फाईल में भी उपलब्ध कराए गए थे। प्राधिकारी ने जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारोबार-वार आंकड़े प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था, जो कि प्राधिकारी को प्राप्त हो गई है। प्राधिकारी ने वर्तमान निर्णय के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य का आकलन करने तथा क्षति का विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (11) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और निर्माण की लागत तथा बिक्री की लागत का आकलन, सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपीपी) के आधार पर किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटन-रोधी शुल्क, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा एनआईपी निर्धारित की गई है।
- (12) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2013 से 30 सितंबर, 2014 तक है। तथापि, वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और जांच अवधि के लिए क्षति का विश्लेषण किया गया है।
- (13) पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 6 नवंबर, 2015 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार व्यक्त किए थे, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रत्युत्तरों में किए गए निवेदनों के बाद मौखिक व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें।
- (14) प्राधिकारी द्वारा इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर, इस निर्णय में उन्हें जहां कहीं भी प्रासंगिक पाया गया है, विचार किया गया है।

- (15) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों का जितना आवश्यक समझा गया है, उनका उतना सत्यापन किया गया है।
- (16) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।
- (17) जहां कहीं भी यदि किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना का अभिगमन करने अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहीं करने से मनाही की है अथवा जांच में विशेष रूप से अडचन पैदा की है, प्राधिकारी ने "उपलब्ध उत्तम सूचना" के आधार पर उसे इस अंतिम निर्णय में अनिवार्य तथ्यों के रूप में रिकार्ड किया है तथा ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है।
- (18) नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी ने 18 मई, 2016 को जारी किए गए प्रकटन विवरण द्वारा मामले के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन कर दिया था और उन पर प्राप्त हुई टिप्पणियों का, प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक समझा गया है, इस अंतिम निर्णय में निदान कर दिया गया है।
- (19) ***सूचना, हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की परिचायक है और उसे प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय माना है।
- (20) इस निर्णय में प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि में प्रचलित औसत भारित कीमत 1 अमरीकी डालर = 61-65 रूपए है।
- (21) राजस्व विभाग ने दिनांक 5 अप्रैल, 2016 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 354/24/2010-टीआरयू (भाग-1) के द्वारा इस जांच को 9 जून, 2016 तक पूरा करने के लिए इसकी समय-सीमा को बढ़ा दिया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

7. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-
- (1) वर्तमान जांच के निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है।
- (2) विचाराधीन उत्पाद "1,1,1,2 टेट्राफ्लोरोईथेन अथवा सभी प्रकार के आर 134ए" हैं।
- (3) 134ए को टेट्राफ्लोरोईथेन जेनेट्रान 134ए, सुवा 134ए, अथवा एचएफसी 134सी, एचएफए 134ए अथवा नॉइफ्लूरेन भी कहा जाता है। यह एक हेलोएल्केन प्रशीतक है जिसके थर्मोडायनेमिक गुणधर्म आर-12 (डाइक्लोरो डाइफ्लूरोमीथेन) के समान होते हैं, परन्तु ओजोन डिप्लीशन क्षमता नहीं होती है।

- (4) 134ए का उपयोग प्राथमिक रूप से घरेलू प्रशीतन तथा ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनरों में उच्च तापमान प्रशीतन हेतु किया जाता है। सम्बद्ध वस्तु के अन्य उपयोगों में प्लास्टिक फोम क्लोईंग क्लीनिंग सॉल्वेंट के रूप में उपयोग भेषजों (उदाहरणार्थ ब्राँकोडायलेटर) की डिलीवरी हेतु प्रोपेलेंट के रूप में गैस इस्टरों तथा एयर ड्रायरों में सम्पीडित वायु से नमी हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कुछ अधिक क्लोकिंग प्रयासों में कंप्यूटरों को ठंडा करने के लिए भी किया गया है। इसका उपयोग, सामान्यतया एयर सॉफ्ट एयर गन्स के लिए प्रोपेलेंट के बतौर भी किया जाता है।
- (5) विचाराधीन उत्पाद मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं – औद्योगिक और फार्मा। तथापि, इस समय फार्मा क्षेत्रों में विचाराधीन उत्पाद की दो किस्मों का उपयोग होता है – (क) सीजीएमपी अनुमोदित प्लांट उत्पाद और (ख) सामान्य उत्पाद जिसका विनिर्माण सीजीएमपी अनुमोदित प्लांट में नहीं होता है। ऐसे सामान्य उत्पाद को जिसका विनिर्माण सीजीएमपी अनुमोदित प्लांट में नहीं होता है, याचिकादाता द्वारा “प्रोपेलेंट” ग्रेड के रूप में वर्णित किया है, ताकि उसे विशेष रूप से सीजीएमपी अनुमोदित फार्मा ग्रेड के उत्पाद से अलग रखा जा सके। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी पारिभाषिक शब्दावली अनुमोदित नहीं है/अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त पारिभाषिक शब्दावली नहीं है।
- (6) चीन से विचाराधीन उत्पाद के केवल दो ग्रेड के आयात किए जा रहे हैं और ये दोनों ग्रेड घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। विचाराधीन उत्पाद औद्योगिक उपयोग के साथ-साथ चिकित्सकीय उपयोग के लिए हैं, जो कि अनियमित बाजारों के लिए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जा रहे और चीन से आयात किए जा रहे ग्रेड तुलनीय हैं और उनका पारस्परिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। तथापि, एक अन्य किस्म का ग्रेड भी है, जो कि नियमित बाजारों के लिए आर 134ए के चिकित्सकीय उपयोग के लिए है, जिसका निर्माण संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप में किया जाता है। यह फार्मा अनुप्रयोग के लिए यूएसएफडीए अनुमोदित आर 134ए है। इस ग्रेड को “फार्मा ग्रेड” के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और आपूर्ति किए जा रहे ग्रेड को “प्रोपेलेंट ग्रेड” के रूप में परिभाषित किया जाता है। चूंकि “फार्मा ग्रेड” की तुलना में “प्रोपेलेंट ग्रेड” में उच्च स्तर की अशुद्धता विद्यमान होती है, इसलिए “प्रोपेलेंट ग्रेड” संयुक्त राज्य अमरीका से आयातित किए जा रहे “फार्मा ग्रेड” को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।
- (7) याचिकादाता और चीन के उत्पादक “फार्मा ग्रेड” (अर्थात् सीजीएमपी अनुमोदित प्लांट उत्पाद) को विनिर्मित करने में असमर्थ हैं, जिसका कारण यह है कि याचिकादाता और चीन के उत्पादकों के पास इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित विनिर्माण की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे विनिर्माण की सुविधाओं को बाजार की भाषा-शैली में “सीजीएमपी” के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप याचिकादाता और चीन के उत्पादक यूएसएफडीए का इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं कि ये उत्पाद फार्मा ग्रेड आर 134ए की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। चूंकि याचिकादाता और चीन के उत्पादक इन विनिर्देशनों को पूरा करने में असमर्थ हैं, इसलिए याचिकादाता आयातों के माध्यम से भारतीय बाजार की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाध्य है।
- (8) सीजीएमपी की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से विभिन्न उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, कच्चे माल, संयंत्र और उपस्कर, 25 करोड़ रूपए के आर्डर देने के लिए अतिरिक्त निवेश किए जाने का स्पष्ट पता चलता है। परिणामी उत्पाद का उत्पाद विनिर्देशन (अशुद्धता का निम्नतर स्तर), घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति किए जा रहे आर 134ए से भिन्न होता है।

- (9) आयात के आंकड़ों में उत्पाद के किस्म की पहचान करना इस कारण से कठिन नहीं है, क्योंकि कंपनियों विभिन्न ब्रांड के नामों से विभिन्न ग्रेडों को बेचती हैं और ऐसे ब्रांड के नाम आयात के आंकड़ों में विनिश्चित होते हैं। चूंकि सीजीएमपी अनुवर्ती प्लांट में विनिर्मित यूएसएफडीए अनुमोदित उत्पाद की अत्यधिक लागत और कीमत होती है, इसलिए यह उत्पाद, सामान्य आर134ए को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। जहां तक कि यह तकनीकी रूप से प्रतिस्थापन योग्य है, लेकिन वाणिज्यिक रूप से यह प्रतिस्थापन योग्य नहीं है।
- (10) विभिन्न ग्रेडों का उत्पादन करने के लिए सरकार से कोई विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। देश में सभी अनुमतियां सामान्य विनियमन हैं। तथापि, फार्मा ग्रेड के उत्पाद के क्रेता उत्पाद को तभी खरीदेंगे, जब कि इसका प्लांट सीजीएमपी अनुवर्ती होगा।
- (11) चूंकि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है, विचाराधीन उत्पादका कार्य-क्षेत्र वही है, जो कि मूल जांच में था। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल जांच के समय "समान वस्तु" के मुद्दे की अच्छी तरह से जांच कर ली गई है और इसका निर्धारण कर लिया गया है। इस संबंध में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (12) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं, वास्तविक और तकनीकी लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसे प्राचलों की दृष्टि से एक समान ही हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन करने योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं।
- (13) घरेलू उद्योग के पास चिकित्सकीय ग्रेड आर134ए सीजीएमपी की अनुवर्ती सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वास्तव में याचिकादाता इस उत्पाद को बाजार से खरीद रहा है, जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि उसने वर्तमान संयंत्र में कोई निवेश नहीं किया है।
- (14) वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद में किसी भी प्रकार के आर134ए को बाहर नहीं रखा गया है। बिना किसी पूर्वाग्रह के यदि सीजीएमपी अनुमोदित फार्मा ग्रेड को आयातों से बाहर रखा जाता है, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस ग्रेड का आयात, केवल संयुक्त राज्य अमरीका से किया गया है, ऐसा करने से वर्तमान मामला, किसी भी तरीके से बिगड़ता नहीं है।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-
- (1) विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से यह स्पष्ट पता चलता है कि आर-34ए को उपयोग, आर-134ए फार्मा ग्रेड बनाने के लिए किया जाता है। आर-134ए तकनीकी ग्रेड और फार्मा ग्रेड दोनों भिन्न ग्रेड और श्रेणियां हैं। आर-134ए विनिर्मित करने के बाद फार्मा ग्रेड के उत्पादन के लिए उसको और संसाधित किए जाने की आवश्यकता होती है।
- (2) विचाराधीन उत्पाद का फार्मा ग्रेड, घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं किया जाता है और इसलिए उसे विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों के क्षति विश्लेषण की ग्रेड-वार जांच की जानी चाहिए।
- (3) डीवाईएमईएल/सोलकेन मेडिकल ग्रेड हैं, जिन्हें संबंधित उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

- (4) संबंधित उत्पाद आर-134ए के परिप्रेक्ष्य में उक्त जांच अवधि के दौरान खतरनाक गैस आर-22 की बड़ी मात्रा में आयात हुआ है। जांच अवधि के दौरान राजस्व आसूचना विभाग द्वारा उक्त गैस आर-22 की लगभग 80 टन मात्रा को जब्त किया गया है। याचिकादाता द्वारा प्रदान किए गए आयात के आंकड़े अविश्वसनीय हैं और इस संबंध में उन्हें बढा-चढा कर दर्शाया गया है तथा उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- (5) एसआरएफ के पास फार्मा ग्रेड आर-134ए का विनिर्माण करने की सुविधाएं नहीं हैं। उसने केवल वर्ष 2015 में ही फार्मा ग्रेड आर-134ए का विनिर्माण करने की प्रौद्योगिकी अधिप्राप्त की है। समीक्ष अवधि के दौरान एसआरएफ फार्मा ग्रेड आर-134ए का विनिर्माण नहीं कर रहा था। मूल जांच से ही एसआरएफ इस आशय के झूठे विवरण प्रस्तुत करके कि उसने आर-134ए के दोनों ग्रेडों का विनिर्माण किया है और उनकी आपूर्ति की है, प्राधिकारी को गुमराह कर रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

51. *वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पादन 1, 1, 1, 2 टेट्राफ्लोरोईथेन अथवा सभी प्रकार के आर 134ए हैं जिसे टेट्राफ्लोरोईथेन जेनेट्रान 134ए, सुवा 134ए, अथवा एचएफसी 134सी, एचएफए 134ए अथवा नॉइफ्लूरेन भी कहा जाता है। यह एक हेलोएल्केन प्रशीतक है जिसके थर्मोडायनेमिक गुणधर्म आर-12 (डाइक्लोरो डाइफ्लूरोमीथेन) के समान होते हैं परन्तु ओजोन डिप्लीशन क्षमता नहीं होती। इसका रासायनिक सूत्र CH_2FCF_3 होता है और क्वथनांक -26.3 डि. से. (-15.34 डिग्री एफ) होता है। यह एक अक्रिय गैस है जिसका उपयोग प्राथमिक रूप से घरेलू प्रशीतन तथा ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनरों में उच्च तापमान प्रशीतन हेतु किया जाता है। सम्बद्ध वस्तु के अन्य उपयोगों में प्लास्टिक फोम क्लोईंग क्लीनिंग सॉल्वेंट के रूप में उपयोग भेषजों (उदाहरणार्थ ब्रांकोडायलेटर) की डिलीवरी हेतु प्रोपेलेंट के रूप में गैस डस्टरों तथा एयर ड्रायरों में सम्पीडित वायु से नमी हटाने में इसका उपयोग किया जाता है।*

52. *सम्बद्ध वस्तु का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली) उपशीर्ष 2903 तहत "हाइड्रोकार्बनों के हैलेजन युक्त व्युत्पन्न" उप शीर्ष 29033919 के तहत अन्य फ्लोरीनयुक्त व्युत्पन्न के अंतर्गत किया जा रहा है। तथापि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई निर्धारित सीमा शुल्क कोड नहीं है और इसका आयात विभिन्न सीमा शुल्क उपशीर्षों के अन्तर्गत किया जा रहा है। तथापि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।*

10. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही है, जो कि मूल जांच में पहले अधिसूचित अंतिम निर्णय में विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र था। जैसा कि मूल जांच में था, वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद, 1, 1, 1, 2 टेट्राफ्लोरोईथेन है, जिसे आर- 134ए के नाम से भी जाना जाता है।

11. सम्बद्ध वस्तुओं के आयात, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली) उप-शीर्ष 2903 तहत "हाइड्रोकार्बनों के हैलेजन युक्त व्युत्पन्न" उप शीर्ष 29033919 के तहत अन्य फ्लोरीनयुक्त व्युत्पन्न के अंतर्गत किए जा रहे हैं। तथापि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई निर्धारित सीमा शुल्क कोड नहीं है और इसका आयात विभिन्न

सीमा शुल्क उपशीर्षों के अन्तर्गत किया जा रहा है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

12. समान वस्तु के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है, परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

13. याचिकादाता ने यह दावा किया है कि उसके द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित आर-134ए में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकादाता द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं, वास्तविक और तकनीकी लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण जैसे प्राचलों की दृष्टि से एक समान ही हैं।

14. संबद्ध वस्तुओं के विभिन्न किस्मों/ग्रेडों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंत प्रयोग के रूप में संबद्ध वस्तुएं मौटे तौर पर दो प्रकार की हैं, अर्थात् औद्योगिकीय और फार्मेस्युटिकल ग्रेड। औद्योगिकीय ग्रेड का उपयोग, रेफरीजेशन और एयर कंडीशनिंग आदि में किया जाता है, जब कि फार्मेस्युटिकल ग्रेड का उपयोग, मुख्यतया मानव की खपत के ड्रग प्रोपेलेंट के रूप में किया जाता है। इन दोनों किस्मों के ग्रेडों के संयंत्र और मशीनरी, कच्चा माल और उत्पादन की प्रक्रिया समान होती है। इन दोनों के बीच अंतर केवल परिशुद्धता के स्तर पर ही होता है। मानव की खपत के निमित्त फार्मेस्युटिकल ग्रेड के लिए न्यूनतम 99.98 % की परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। मानव की खपत के निमित्त संबद्ध वस्तुओं का उपयोग, औद्योगिकी के प्रयोजनार्थ भी किया जा सकता है, क्योंकि उनकी परिशुद्धता का स्तर उच्चतर होता है, इसलिए औद्योगिकी की किस्म की वस्तुओं का उपयोग, मानव की खपत के लिए नहीं किया जा सकता है। तथापि, सीजीएमपी अनुमोदित फार्मा ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के अधिकार—क्षेत्र से बाहर रखा गया है, चूंकि न तो इसे घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किया जाता है और न ही इसका आयात संबद्ध देश से किया जाता है।

15. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएं, उनके भौतिक और रासायनिक लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन करने योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी की यह अवधारणा है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं को पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार समान वस्तुएं माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

16. घरेलू उद्योग और उसके आधार के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई निवेदन नहीं किया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

17. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) एसआरएफ लिमिटेड, याचिकादाता, देश में आर-134ए का एक मात्र उत्पादक है और भारतीय उत्पादन में इसका अंशदान 100% है।
- (2) याचिकादाता ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त याचिकादाता संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं है अथवा वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयातक अथवा प्रयोक्ता नहीं है।
- (3) कानूनी स्थिति के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, वर्तमान जांच के निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते, प्राधिकारी को वर्तमान याचिका दायर करने के लिए याचिकादाता के आधार का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि याचिका नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग के आधार की आवश्यकता को पूरी करती है और याचिकादाता, नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

18. पाटन रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स एसआरएफ लिमिटेड, मूल जांच के साथ-साथ वर्तमान जांच में याचिकादाता का कुल भारतीय उत्पादन में अंशदान 100% है। यह नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग बनता है और नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत घरेलू उद्योग के आधार की आवश्यकता को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

20. गोपनीयता के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) लागत संबंधी सूचना का संक्षेपण करना संभव नहीं है और नियम 7 के अनुसार संक्षेपण करने की आवश्यकता नहीं है।
- (2) याचिकादाता ने जितना प्रासंगिक था, अगोपनीय सूचना प्रस्तुत की है। नियमावली में ऐसे कोई विशिष्ट प्रपत्र की व्यवस्था नहीं है, जिसमें याचिकादाता को आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

21. गोपनीयता के बारे में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) याचिका में अत्यधिक गोपनीयता रखी गई है।
- (2) याचिकादाता ने न तो कारोबार-वार आयात के आंकड़े सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत किए हैं और न ही उसने गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का सार्थक संक्षेपण प्रस्तुत किया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में की गई व्यवस्था निम्नानुसार है :-

- (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।
- (3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

23. गोपनीयता के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की जांच, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई है। प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रदान करें। इसके साथ प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तान्त को भी सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है।

च. विविध मुद्दे

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

24. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विभिन्न निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) मौजूदा मामले में पाटन-रोधी शुल्क दिनांक 15 जुलाई, 2011 की अधिसूचना द्वारा लगाया गया था और इसलिए यह 14 जुलाई, 2016 तक लागू रहेगा। इसलिए इसका कोई आधार नहीं है कि पाटन-रोधी शुल्क, 18 अप्रैल, 2015 को समाप्त हो गया है। चैन्नई उच्च न्यायालय ने विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए अंतरिम पाटन-रोधी शुल्क को रद्द कर दिया था तथा उसे उच्चतम न्यायालय ने स्थगित नहीं किया था। इसलिए संस्तुत अनन्तिम शुल्क के आधार पर इस उत्पाद में कोई अंतरिम पाटन-रोधी शुल्क लागू नहीं है और पांच वर्ष की अवधि, निश्चयात्मक शुल्क को लागू किए जाने की तारीख से गिने जाने की आवश्यकता है, जो कि 14 जुलाई, 2016 को पूरी होगी।
- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी की शुल्क के स्वरूप और मात्रा की समीक्षा करने की शक्ति सुस्थापित है। निर्दिष्ट प्राधिकारी सुसंगत रूप से इस पर विचार कर रहे हैं कि यदि वर्तमान अवधि में आयात की मात्रा अत्यधिक

होती है, तो वर्तमान अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर पाटन शुल्क की मात्रा में संशोधन करना होगा। भारत में एक मात्र अपवाद यह है कि जब पाटन और/अथवा क्षति मार्जिन नकारात्मक होता है, तब क्षति होने की संभावना के आधार पर शुल्क को आगे बढ़ा दिया जाता है।

- (3) विधि के अंतर्गत ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि घरेलू उद्योग को याचिका में इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसने स्वयं प्राप्त किए गए आयात के अपरिष्कृत आंकड़ों को कैसे परिष्कृत किया है। नियमावली के अंतर्गत एक मात्र अपेक्षा आयातों की मात्रा और मूल्य के परिमाणन करने तथा सूचना का स्रोत प्रदान करने की होती है। याचिकादाता ने कारोबार-वार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो कि पर्याप्त और व्यापक रूप से यह स्थापित करते हैं कि याचिकादाता द्वारा अपनाया गया मुख्य साधन क्या है।
- (4) इस जांच की शुरुआत, एक मात्र घरेलू उद्योग द्वारा 'विधिवत् अधिप्रमाणित' याचिका के आधार पर की गई थी। इस संबंध में याचिका में समस्त संबद्ध सूचना निहित हैं। जितने प्रमाण उपलब्ध थे, याचिकादाता ने उतने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हैं। याचिका से यह सुस्थापित होता है कि निरंतर पाटन हो रहा है और उससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- (5) हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग को पर्याप्त अवधि के लिए संरक्षण प्राप्त है। स्थापित कानूनी स्थिति है कि पाटन-रोधी शुल्क तब तक लागू रहेगा जब तक उसको लागू रखना आवश्यक है तथा पाटन होता है और उसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने की संभावना बनी रहती है।
- (6) भविष्य में उत्पाद पर प्रतिबंध लगाए जाने का अभिप्राय भारतीय बाजार में उत्पाद के पाटन करने का लाईसेंस देने का नहीं है। वास्तव में घरेलू उद्योग ने यह स्पष्ट रूप से विचार किया है कि यह उत्पाद, भारतीय बाजार में उस अवधि से भी आगे बना रहेगा जिसके लिए वर्तमान उपाय पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि इस उत्पाद पर संभवतः प्रतिबंध लगाया जाता है, तो भी वह वर्तमान शुल्क निर्यातकों को कैसे प्रभावित करेगा।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

25. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) निर्णायक समीक्षा की शुरुआत घरेलू उद्योग के अनुरोध पर की गई है। ऐसे अनुरोध के 'विधिवत् अधिप्रमाणित' होने की आवश्यकता है। वर्तमान जांच के लिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध को 'विधिवत् अधिप्रमाणित' अनुरोध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि याचिका में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई प्रमाण निहित नहीं है।
- (2) घरेलू उद्योग जांच की शुरुआत को यथोचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसके अतिरिक्त न तो यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि निरंतर पाटन हो रहा है और न ही उसने इसके पर्याप्त अधिप्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि यदि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो उससे भविष्य में पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना होती है।
- (3) मूल पाटन-रोधी शुल्क की वैधता 18 अप्रैल, 2015 को समाप्त हो गई है और वित्त मंत्रालय ने शुल्क की समाप्ति के बाद भी पाटन-रोधी शुल्क को आगे बढ़ाए जाने के लिए अभी तक कोई सीमा शुल्क संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की है। वित्त मंत्रालय को मूल अधिसूचना की समाप्ति से पहले संबद्ध उत्पाद पर शुल्क को आगे बढ़ाए रखना अपेक्षित था। अंतिम समीक्षा जांच केवल पहले से लागू शुल्क को आगे बढ़ाए

- रखने के लिए की जाती है और न कि ऐसे शुल्क के लिए जिसकी वैधता समय के बीत जाने पर समाप्त हो गई है। इसलिए वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- (4) अंतिम समीक्षा जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्ति, शुल्क को समाप्त कर दिए जाने तक सीमित है और न कि उसको आगे बढ़ाए जाने के लिए है। इसलिए समीक्ष में शुल्क की दर में वृद्धि नहीं की जा सकती है।
 - (5) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आयात के आंकड़े दोष पूर्ण हैं, क्योंकि उसने उसमें चिकित्सकीय ग्रेड को शामिल किया है और उसे संबद्ध उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया है।
 - (6) उक्त जांच अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद आर-134ए के बहाने खतरनाक गैस आर-22 की बड़ी मात्रा में आयात किया गया है। उक्त जांच अवधि के दौरान राजस्व आसूचना अधिकारियों द्वारा उक्त गैस आर-22 की लगभग 80 टन मात्रा को जब्त किया गया है। इसलिए याचिकादाता द्वारा प्रदत्त आयात के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
 - (7) याचिका में इस आशय का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि घरेलू उद्योग ने प्राप्त किए गए अपरिष्कृत आयात आंकड़ों को कैसे परिष्कृत किया है। साथ ही वह यह प्रकट करने में भी विफल रहा है कि उसने संबद्ध उत्पाद को असंबद्ध उत्पाद से कैसे अलग किया है और उसने आयात के आंकड़ों में कैसे सभी किस्मों के उत्पाद को शामिल किया है, जिस पर विश्वास किया गया है। जब तक ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं करा दी जाती, तब तक क्षति के आरोप के संबंध में प्रदान की गई सूचना की परिशुद्धता का उचित ढंग से विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।
 - (8) पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण खपत के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। संबद्ध उत्पाद अप्रचलित होने की कगार पर है। यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे विकसित देश संबद्ध उत्पाद को उसके ओजोन निःशेषण लक्षणों के कारण उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। संबद्ध उत्पाद में प्रोद्योगिकी विकास हुआ है और उसका एचएफक्यू-1234वाईएफ नामक नया विकसित उत्पाद बाजार में आ गया है, जो कि आर-134ए की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल है।
 - (9) मूल वर्तमान शुल्क, निर्धारित शुल्क के स्वरूप में लागू किया गया था। निर्धारित शुल्क केवल उत्पादों की मात्रा से संबंधित है और यह सामग्री की कीमत में परिवर्तन को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। इसलिए यदि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है, तो उसे संदर्भ कीमत के स्वरूप में लागू किया जाए।
 - (10) प्रतिवादी निर्यातक, झेझियांग सान्मेई केमिकल इंड. कंपनी लिमिटेड ने जांच अवधि से पहले कुछ निर्यात किए थे, लेकिन जांच अवधि में उसने कोई निर्यात नहीं किया था। प्रतिवादी निर्यातक, झेझियांग सान्मेई केमिकल इंड. कंपनी लिमिटेड का प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे नियम 22 के अनुसार विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन लागू करने के लिए उसकी पात्रता की संपुष्टि करें।

प्राधिकारी द्वारा जांच

26. इस जांच की शुरुआत को यथोचित ठहराने के लिए "पर्याप्त प्रमाण" नहीं होने के निवेदन के संबंध में यह नोट किया जाता है कि इस जांच की शुरुआत को यथोचित ठहराने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया प्रमाण विद्यमान थे। वर्तमान जांच की शुरुआत लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद की गई थी क्योंकि ऐसा आवेदन पत्र, प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित प्रपत्र में और तरीके से तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित संबद्ध और आवश्यक प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किया गया था। वस्तुतः जांच की शुरुआत यह सुनिश्चित किए जाने के बाद की गई थी कि आवेदन पत्र घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है और आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए प्रमाण की सत्यता और पर्याप्तता के बारे में पर्याप्त जांच कर ली गई है तथा प्राधिकारी इस तथ्य से विधिवत्

संतुष्ट हैं कि इस जांच की शुरूआत को यथोचित ठहराने के लिए पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध होने के पर्याप्त प्रथमदृष्टया प्रमाण विद्यमान हैं।

27. यह सही है कि नव विकसित और प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत एचएफक्यू-1234वाईएफ उत्पाद की वैश्विक मांग बढ़ रही है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यह बाजार में आर-134ए को तुरत प्रतिस्थापित कर लेगा। आर-134ए की मांग, विशेषकर भारतीय बाजार में अभी भी बहुताधिक है।

28. वर्तमान मामले में निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क दिनांक 15 जुलाई, 2011 की अधिसूचना द्वारा लगाया गया था, जो कि अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक वैध था और यह 14 जुलाई, 2016 तक प्रभावी है। इसलिए यह तर्क निराधार है कि पाटन-रोधी शुल्क की वैधता 18 अप्रैल, 2015 को समाप्त हो गई है। विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए अंतरिम पाटन-रोधी शुल्क को चैन्नई उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और उसे उच्चतम न्यायालय ने स्थगित नहीं किया था।

29. इस तर्क के संबंध में कि अंतिम समीक्षा जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्ति, शुल्क को समाप्त कर दिए जाने तक सीमित है और न कि उसको आगे बढ़ाए जाने के लिए है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क संबंधी जांच में शुल्क के स्वरूप और मात्रा की समीक्षा करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्ति सुस्थापित है। निर्णायक समीक्षा जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी, भारत द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क के नियम के अध्वधीन पाटन-रोधी शुल्क के स्वरूप और मात्रा में संशोधन करने की सिफारिश कर सकते हैं।

30. इस तर्क के संबंध में कि यदि कोई शुल्क लागू है, तो उसका स्वरूप संदर्भ कीमत के आधार पर होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क का स्वरूप मामले के तथ्यों द्वारा अधिशासित होता है।

31. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आयात के आंकड़े दोष पूर्ण हैं, क्योंकि उसने उसमें चिकित्सकीय ग्रेड को शामिल किया है और उसे संबद्ध उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया है, के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध कारोबार को अभिज्ञात करने के बाद इस जांच में डीजीसीआईएंड से प्राप्त किए गए आंकड़ों पर विश्वास किया गया है।

32. जांच अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किए जाने के बावजूद झेझियांग सान्मेई केमिकल इंड. कंपनी लिमिटेड चीन जनवादी गणराज्य को विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन स्वीकृत करने के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किए जाने से झेझियांग सान्मेई, वर्तमान जांच में विशिष्ट पृथक पाटन मार्जिन प्राप्त करने का हकदार नहीं होता है।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

33. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए प्राधिकारी को वर्तमान जांच में उसे ऐसा ही माना जाना चाहिए। किसी भी देश ने व्यापक मूल्यांकन प्राचलों का अनुपालन करने के बाद चीन को बाजार-अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा स्वीकृत नहीं किया है। इसका वास्तविक मानदंड वही हैं, जो कि

मूल और समीक्षा जांच में था। चीन की कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन का हकदार नहीं माना जाना चाहिए।

- (2) निर्दिष्ट प्राधिकारी को चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पाटन-रोधी नियमावली के पैरा 7 का अनुसरण करना चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका से भी संबद्ध वस्तुओं के निर्यात भारतीय बाजार में किए जा रहे हैं। प्रतिनिधि कीमत के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका से विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत पर विचार किया जा सकता है तथा उक्त आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है।
- (3) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीयक देश में प्रचलित कीमत या संरचित मूल्य के आधार पर इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि संबद्ध सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
- (4) चीन से पाटन मार्जिन न केवल अत्यधिक है, बल्कि आयातों के पैक किए गए और पैक नहीं किए गए दोनों स्वरूप में भी यह पर्याप्त है, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद का अत्यधिक पाटन हो रहा है। पाटन रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी वर्तमान जांच की समस्त क्षति अवधि के दौरान चीन से आयात की मात्रा अत्यधिक बनी रही है।

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि उसने चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, (क) भारत में संयुक्त अमरीका से होने वाले आयात की कीमत, (ख) भारत में बिक्री कीमत और (ग) भारत में उत्पादन की लागत में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ सहित विधिवत् समायोजन करने के आधार पर किया है। याचिका में सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से संबंधित कोई प्रमाण निहित नहीं है। इसलिए घरेलू उद्योग सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण करने के अपने दायित्व का निर्वाह करने में विफल रहा है।
- (2) घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का परिकलन गलत और विवेकाधीन है। याचिकादाता ने निर्यात कीमतों का समायोजन करने के बारे में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है।
- (3) घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की सत्यता की जांच की जानी चाहिए। घरेलू उद्योग द्वारा संरचित किया गया सामान्य मूल्य गलत है, क्योंकि याचिका के अनुबंध 3.2 में रूस को एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश के रूप में माना गया है। तथापि, याचिकादाता ने भारत में संयुक्त राज्य अमरीका की आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।
- (4) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई लागत के आधार पर सामान्य मूल्य तब तक संरचित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि इस आशय के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर दिए जाएं कि वर्तमान मामले में भारत एक उपयुक्त प्रतिनिधि देश है। तथापि, प्राधिकारी सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच**ज. चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों में विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा पाटन-रोधी जांच में चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। इसलिए पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 (2) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है, बशर्ते कि उपरोक्त नियमावली के अनुसार निर्यातक देश अथवा संबद्ध देश का कोई उत्पादक/निर्यातक उपरोक्त परिकल्पना का खंडन नहीं कर दे।

36. पाटन-रोधी नियमावली अनुबंध-1 के पैरा-8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है, यदि चीन का निर्यातक, पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है और इसके विपरीत तथ्यों को सिद्ध करता है। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के प्रतिपादन संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में किए गए उल्लेख के अनुसार आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है, ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

- (क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से परिलक्षित होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से परिलक्षित होते हैं ;
- (ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे-खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;
- (ग) इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- (घ) विनिमय दर का परिवर्तन व्याज की दर पर किया जाता है।

37. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में उल्लिखित व्यवस्था निम्नानुसार है :-

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”

38. इन नियमों के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण, निम्नलिखित किसी भी आधार पर किया जा सकता है :-

- (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में प्रचलित कीमत के आधार पर अथवा
- (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संरचित मूल्य के आधार पर अथवा
- (ग) किसी तृतीय देश से भारत सहित किसी अन्य देश की प्रचलित कीमत के आधार पर अथवा
- (घ) यदि उपरोक्त विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी अन्य उपयुक्त आधार पर कर सकते हैं, जिनमें समान उत्पाद के लिए भारत में अदा की गई ऐसी वास्तविक कीमत अथवा देय कीमत शामिल है, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को विधिवत संमजित किया गया हो।

39. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण, संयुक्त राज्य अमरीका से विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत के आधार पर किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि ऐसी कीमत को प्रतिनिधि कीमत माना जा सकता है और उसे भारत में तृतीय देश की कीमत के रूप में माना जा सकता है और उक्त आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है।

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना जारी करने के परिणाम स्वरूप चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन (एमईटी) का दावा करने के बारे में निर्यातक की प्रश्नावली कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि जैसा कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है, चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ संयुक्त राज्य अमरीका से विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत को इसलिए अपनाया नहीं जा सकता है क्योंकि संयुक्त राज्य अमरीका और चीन में विकास का स्तर समान नहीं है। इसके अतिरिक्त तृतीय देश की लागत और कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू बिक्रियों अथवा तृतीय देश की निर्यात बिक्रियों के संपूर्ण और व्यापक आंकड़ों के साथ-साथ तृतीय देश में ऐसे उत्पादकों की उत्पादन लागत और उनके सहयोग की आवश्यकता होती है, जो कि प्राधिकारी को वर्तमान जांच में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले अन्य तृतीय देशों में प्रचलित कीमतों और लागत के बारे में न तो घरेलू उद्योग ने और न ही किसी प्रतिवादी निर्यातक ने सत्यापन करने योग्य कोई सूचना प्रदान की है और न ही ऐसी सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिसका अभिगमन किया जा सके और न ही चीन की प्रतिवादी कंपनियों ने एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के बारे में कोई दावा किया है।

41. इन परिस्थितियों में प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं और इसलिए वे नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित किसी भी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना करने की आगे की कार्रवाई करते हैं। तदनुसार नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार प्राधिकारी ने प्रमुख कच्चे माल की घरेलू कीमतों के आधार पर चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य संरचित किया है क्योंकि यह विश्व व्यापार एटलस में यथा उपलब्ध प्रमुख कच्चे माल की अंतराष्ट्रीय कीमतों और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत और उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के बाद कारगर खपत मानकों और घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत से कम पाई गई हैं।

42. उचित तुलना करने और विचाराधीन उत्पाद को पैक किए गए और पैक नहीं किए गए के रूप में उत्पादन की लागत में अत्यधिक अंतर को ध्यान में रखते हुए, उत्पादित और बेची गई संबद्ध वस्तुओं में से पैक और पैक नहीं की गई वस्तुओं के लिए पृथक सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है। तथापि, पैक और पैक नहीं की गई वस्तुओं के लिए इस प्रकार से आकलित किया गया पाटन मार्जिन, सहयोजित निर्यात मात्रा पर विचार करने के बाद समग्र

विचाराधीन उत्पाद के लिए भारित औसत है। तदनुसार प्राधिकारी ने भारित औसत सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जो कि नीचे दी गई मार्जिन तालिका में निर्दिष्ट किया गया है।

झ. निर्यात कीमत

43. वर्तमान जांच की शुरूआत के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं :-

- (1) झेजियांग सान्मेई केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ("सान्मेई")।
- (2) साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कंपनी लिमिटेड
- (3) साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड
- (4) झेजियांग कुझोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कंपनी लिमिटेड ("जुक्सिन")
- (5) झेजियांग जुहुआ कंपनी लिमिटेड आर्गेनिक फ्लोर-केमिस्ट्री प्लांट
- (6) झेजियांग कुझोऊ लियानझोऊ रेफरीजिरेटर्स कंपनी लिमिटेड
- (7) झेजियांग क्युहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री लिमिटेड
- (8) केमोरस केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती डु पोंट ट्रेडिंग(शंघाई) कंपनी लिमिटेड)

झेजियांग सान्मेई केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ("सान्मेई")।

44. निर्यातक की प्रश्नावली (ईक्यू) के उत्तर के अनुसार झेजियांग सान्मेई केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य, संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक कंपनी है। प्रश्नावली (ईक्यू) के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि झेजियांग सान्मेई केमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए थे।

साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कंपनी लिमिटेड

45. निर्यातक की प्रश्नावली (ईक्यू) के उत्तर के अनुसार साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कंपनी लिमिटेड चीन जनवादी गणराज्य, संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक/निर्यातक कंपनी है। प्रश्नावली (ईक्यू) के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कंपनी लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात नहीं किए थे।

साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड

46. निर्यातक की प्रश्नावली (ईक्यू) के उत्तर के अनुसार साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड चीन जनवादी गणराज्य, संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक/निर्यातक कंपनी है। यह साइनोकेम मॉडर्न एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (जियान) कंपनी लिमिटेड की 100% स्वामित्वाधीन कंपनी है, जो कि चीन के साइनोकेम ग्रुप से संबंधित है। जांच अवधि के दौरान साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड ने भारत को संबद्ध वस्तुओं की *** मी.टन की कुल मात्रा का निर्यात किया था, जिसका कुल मूल्य *** संयुक्त राज्य अमरीकी डालर था।

47. प्राधिकारी द्वारा साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड चीन जनवादी गणराज्य की उसके स्थल पर जांच की गई थी। इस जांच के दौरान यह नोट किया गया था कि साइनोकेम ग्रुप की साइनोकेम निंगबो नामक अन्य संबंधित कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद की *** मी.टन की कुल मात्रा का निर्यात किया था, लेकिन उसने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे। पृच्छताछ करने पर साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य ने यह स्पष्टीकरण दिया था कि साइनोकेम निंगबो संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक कंपनी नहीं है और उसने संबद्ध वस्तुओं के निर्यात, चीन की अन्य उत्पादक कंपनियों से अधिप्राप्त करके किए थे, जो कि साइनोकेम ग्रुप के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा दिखाए गए एसएपी के बिक्री के आंकड़ों में साइनोकेम ताइकांग का साइनोकेम निंगबो के साथ विचाराधीन उत्पाद के ऐसे कोई कारोबार निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

48. तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि साइनोकेम निंगबो, साइनोकेम ग्रुप से संबंधित है। बेव आधारित सूचना के अनुसार यह रसायनों की उत्पादक कंपनी है, हालांकि यह स्पष्ट पता नहीं चलता है कि वह संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करती है। जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के अत्यधिक मात्रा में निर्यात करने के बावजूद उसने न तो निर्यातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत किया है और न ही उसकी संबंधित प्रतिवादी कंपनियों ने अपने उत्तरों में ऐसी सूचना को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है।

49. प्रकटन पश्चात साइनोकेम निंगबो ताइकांग ने यह सूचित किया है कि 10 अप्रैल, 2015 को जब यह वर्तमान निर्णायक समीक्षा शुरू की गई थी, तब साइनोकेम निंगबो ताइकांग, साइनोकेम ताइकांग से संबंधित नहीं थी और उसने अपना नाम साइनोकेम निंगबो ताइकांग से बदल कर निनुहा ग्रुप कर दिया था। तथापि, अधिकारी यह नोट करते हैं कि नाम बदले जाने का ऐसा दावा जांच पश्चात अवधि के बाद किया गया है और इसलिए इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि इस जांच को शुरू करने से पहले साइनोकेम निंगबो, साइनोकेम ताइकांग से संबंधित थी और वह जांच अवधि में भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने में लगी हुई थी। लेकिन न तो निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में और न ही स्थल पर जांच किए जाने के समय इन तथ्यों को दस्तावेजी प्रमाणों से अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी, साइनोकेम एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन केमिकल्स (ताइकांग) कंपनी लिमिटेड चीन जनवादी गणराज्य को कोई पृथक मार्जिन स्वीकृत नहीं करते हैं।

झेजियांग जुहुआ कंपनी लिमिटेड (जुहुआ - उत्पादक), झेजियांग कुझोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कंपनी लिमिटेड (जुक्सिन - उत्पादक), झेजियांग क्युहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री लिमिटेड, झेजियांग (क्युहुआ - निर्यातक), क्युझोऊ लियानझोऊ रेफरीजिरेटर्स कंपनी लिमिटेड (लियानझोऊ - निर्यातक) और केमोरस केमिकल (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती डू पोंट ट्रेडिंग (शंघाई) कंपनी लिमिटेड)।

50. झेजियांग जुहुआ कंपनी लिमिटेड (जुहुआ - उत्पादक), झेजियांग कुझोऊ जुक्सिन फ्लोरीन केमिकल कंपनी लिमिटेड (जुक्सिन - उत्पादक), झेजियांग क्युहुआ फ्लोर-केमिस्ट्री लिमिटेड, झेजियांग (क्युहुआ - निर्यातक), क्युझोऊ लियानझोऊ रेफरीजिरेटर्स कंपनी लिमिटेड (लियानझोऊ - निर्यातक) चीन की संबंधित कंपनियां हैं, जिन्होंने वर्तमान जांच में निर्यातक की प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत किए हैं और इन्हें सामूहिक रूप से “जुहुआ ग्रुप” कहा जाता है। जुक्सिन, क्युहुआ और लियानझोऊ, झेजियांग जुहुआ कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनियां हैं। जब कि जुहुआ और जुक्सिन संबद्ध वस्तुओं की उत्पादक कंपनियां हैं। क्युहुआ और लियानझोऊ केवल निर्यातक कंपनियां हैं। प्राधिकारी द्वारा उक्त कंपनियों की उनके स्थल पर जांच की गई थी।

51. निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तरों में उपलब्ध सूचना के अनुसार, जांच अवधि के दौरान, जुहुआ और जुक्सिन, जोकि दो संबंधित उत्पादक कंपनियां हैं, ने क्यूहा और लियानझोऊ को, जो कि दो संबंधित उत्पादक कंपनियां हैं और

चीन में कुछ असंबद्ध ग्राहकों को भी संबंधित वस्तुओं की बिक्री की थी। जबकि क्यूहा ने वल्क फॉर्म में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात किए थे, लियानझोऊ ने संबद्ध वस्तुओं को अपने पैकिंग यूनिट में विभिन्न वाणिज्यिक आकारों में पैक किया था और उनका निर्यात किया था। जांच अवधि के दौरान जबकि लियानझोऊ ने भारत में ग्राहकों को सीधे संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की थी, क्यूहा ने अपनी समग्र बिक्रियां, डियो पोंट ट्रेडिंग (संघाई) कंपनी लिमिटेड को अपनी समग्र बिक्रियां की थीं। इस कंपनी का नया नाम कैमरस केमिकल (संघाई) कंपनी लिमिटेड हो गया है। इसने उस समय अपने-अपने भारतीय संबद्ध पक्षकारों को बिक्रियां की थीं। कैमरस केमिकल (संघाई) कंपनी लिमिटेड ने अपने आंकड़ों/सूचना की स्थल पर जांच करने के लिए कोई सहयोग नहीं दिया था।

52. जांच अवधि के दौरान जुहुआ और जुक्सिन ने घरेलू बाजार में *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुएं बेची थीं, जिनमें से *** मीट्रिक टन वस्तुएं लियानझोऊ को बेची गई थीं और *** मीट्रिक टन वस्तुएं क्यूहा को बेची गई थीं तथा शेष *** मीट्रिक टन वस्तुएं अन्य संबद्ध ग्राहकों को बेची गई थीं। जांच अवधि के दौरान क्यूहा ने केवल *** मीट्रिक टन (केवल वल्क किस्म की) संबद्ध वस्तुएं भारत को निर्यात की थीं, जिनका सकल बीजक मूल्य *** यूएस डॉलर था। ये समग्र वस्तुएं डियो पोंट ट्रेडिंग (संघाई) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात की गई थी। जांच अवधि के दौरान लियानझोऊ ने भारत में *** मीट्रिक टन पैक की गई संबद्ध वस्तुएं सीधे निर्यात की थी, जिनको उसने अपने संबद्ध उत्पादकों (जुहुआ और जुक्सिन) से समग्र वस्तुओं को वल्क में अधिप्राप्त करने के बाद उसकी पैकिंग करके निर्यात किया था, जिसका सकल बीजक मूल्य *** यूएस डॉलर था।

53. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान डियो पोंट ट्रेडिंग (संघाई) कंपनी लिमिटेड ने *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का भारत में निर्यात किया था, जो कि सभी वस्तुएं वल्क किस्म की थीं। इन वस्तुओं को जुहुआ ग्रुप से अधिप्राप्त किया गया था। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि डियो पोंट ट्रेडिंग (संघाई) कंपनी लिमिटेड ने अपने संबंधित भारतीय पक्षकार, जिसका नाम ईआई डियोपोंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, को उक्त निर्यात किए थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के बाद डियो पोंट ट्रेडिंग (संघाई) कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम बदलकर कैमरस केमिकल (संघाई) कंपनी लिमिटेड हो गया है, ने प्राधिकारी द्वारा अपने आंकड़ों की जांच करने में सहयोग नहीं दिया था। इसके अतिरिक्त, ये समग्र बिक्रियां, उसकी संबंधित भारतीय कंपनी को की गई थीं, जिनकी बिक्रियों की कीमत भारतीय बाजार में उनका सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण ज्ञात नहीं है।

54. प्रतिवादी कंपनियों ने प्रकटन पश्चात यह तर्क दिया है कि यदि केमोर्स ने सहयोग नहीं दिया था, तो भी प्राधिकारी जुहुआ ग्रुप के निर्यातों के अन्य माध्यम के लिए निर्यात कीमत का सुगमता से परिकलन कर सकते थे, जो कि जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए कुल निर्यातों का 67% भाग बनता है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कारोबार में लगे होने पर भी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा पूरी सूचना प्रस्तुत किए बिना और जब कि संबंधित क्रेताओं को पर्याप्त बिक्रिया की गई हैं, प्राधिकारी के लिए न तो व्यवहार्य और न ही वांछनीय है कि वह विशेष रूप से उनके लिए पृथक मार्जिन का निर्धारण करें, क्योंकि कारोबार में लगे हुए निर्यातकों से पूरा सहयोग नहीं मिलने से प्राधिकारी का अधिकार-क्षेत्र सार्थक रूप से पाटन का निर्धारण करने में सीमित हो जाता है। उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पृथक मार्जिन का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि के दौरान भारत को जुहुआ ग्रुप द्वारा किए गए निर्यात पर विचार नहीं करते हैं।

चीन जनवादी गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों – निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

55. प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य से असहयोगी निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित की है। तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य से सभी असहयोगी निर्यातकों के संबंध में उचित समायोजन करने के बाद कारखानागत स्तर पर भारित औसत निवल निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है, जो कि नीचे तालिका में निर्दिष्ट हैं।

झ. पाटन मार्जिन

56. उपरोक्त अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :-

विवरण	यूनिट	पैक किए गए	पैक नहीं किए गए	भारित औसत
साधारण कीमत	यूएस\$/किग्रा	***	***	***
निवल निर्यात मूल्य	यूएस\$/किग्रा	***	***	***
पाटन मार्जिन	यूएस\$/किग्रा	***	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***	***
पाटन मार्जिन	% सीमा	60-70	40-50	45-55

ञ. क्षति निर्धारण और क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच करने के लिए कार्यप्रणाली**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन**

57. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) जांच अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग/प्रत्यक्ष खपत में वृद्धि हुई है। पूर्णरूपेण तथा भारत में उत्पादन/खपत के संबंध में दोनों रूपों पर पाटन-रोधी शुल्क लगे होने के बावजूद भी संबद्ध देश से आयात अत्यधिक बने हुए हैं।
- (2) घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में अपनी क्षमता बढ़ा दी है। देश में और वैश्विक बाजार में उत्पाद का उत्पादन करने के लिए वर्तमान और संभावित मांग द्वारा उसकी क्षमता का बढ़ना पूर्णतः यथोचित था। वर्ष 2012-13 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है और उसके बाद वर्ष 2013-14 और जांच अवधि में उसमें वृद्धि हुई है। तथापि, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में निरंतर गिरावट आई है।
- (3) आयातों की पहुँच कीमत (मूल सीमा शुल्क को शामिल करने के बाद) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से अत्यधिक कम रही है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है। आयात, बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को अत्यधिक कम कर रहे हैं। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। इन परिस्थितियों में यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो आयात, घरेलू उद्योग की कीमतों में और कटौती करेंगे जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक सीमा तक कम होंगी।
- (4) पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ में एक बार फिर गिरावट आई है क्योंकि लागत में वृद्धि हो गई है तथा घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमतों को इसलिए नहीं बढ़ा सका है क्योंकि उसे गिरती आयात कीमतों के बराबर अपनी कीमतों को समायोजित करना था। देश में विचाराधीन उत्पाद के निरंतर पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग उचित लाभ अर्जित नहीं कर सका है।
- (5) उत्पादन और बिक्रियों के रूप में घरेलू उद्योग की संवृद्धि ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है। तथापि, क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में गिरावट की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत

- हुई हैं। कीमत प्राचलों में ऐसी नकारात्मक संवृद्धि से, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश की गिरती आयात कीमतों पर बाजार में विचाराधीन उत्पाद का निरंतर उत्पादन होने का पता चलता है।
- (6) हालांकि, वर्ष 2012-13 के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में गिरावट आई थी, लेकिन जांच अवधि के साथ-साथ आधार वर्ष में यह उसी स्तर पर बना हुआ था। यह ऐसी स्थिति है जब कि पाटन-रोधी शुल्क विद्यमान है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में, स्थिति के बदतर होने के संभावना है।
- (7) हालांकि, उत्पादन और बिक्रियों की मात्रा के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है, जो कि (1) पाटन-रोधी शुल्क का लागू होना और (2) ऐसी कीमत जिस पर घरेलू उद्योग ने उत्पाद को बेचा गया था, के कारण हुआ है। चूंकि घरेलू उद्योग ने चीन से आयात कीमत के बराबर करने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कम किया है, इसलिए वह भारी मात्रा में बिक्री करने में सक्षम हुआ है। यदि घरेलू उद्योग ने निवेश पर उचित प्रतिलाभ को ध्यान में रखते हुए अपनी कीमतें निर्धारित की होतीं, तो उसकी बिक्रियों की मात्रा में गिरावट आती। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के रूप में गिरावट आई है। संग्रहित और संचयी रूप से घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न प्राचलों से यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
- (8) यदि अनुकूलतम क्षमता उपयोग को ध्यान में रखकर घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, बिक्री कीमत और लाभ/हानि का निर्धारण किया जाता है, तो यह पता चलेगा कि किसी भी मामले में आंकड़े, लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट दर्शाते हैं। जहाँ तक यदि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को अनुकूलतम क्षमता के तक समायोजित किया जाता है, तो भी ऐसा किए जाने के बावजूद आंकड़े घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाएंगे।
- (9) जबकि कच्चे माल की कीमतों में कुछ गिरावट हुई है, फिर भी आयात कीमत में गिरावट कच्चे माल के कारण लागत में हुई गिरावट से काफी अधिक है। विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमत में गिरावट टीसीई के कारण लागत में हुई गिरावट से काफी अधिक है। इस प्रकार, आर-134ए की कीमत में गिरावट, लागत में गिरावट आने के कारण हुई है।
- (10) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को घाटे अतिरेक क्षमता के कारण हुए हैं, याचिकादाता का यह निवेदन है कि यदि अनुकूलतम क्षमता उपयोग (अर्थात क्षति अवधि के दौरान प्राप्त अत्यधिक क्षमता उपयोग) को ध्यान में रखकर परिकलन किए जाने पर आंकड़ों से अनुकूलतम क्षमता उपयोग होने के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट आने का स्पष्ट पता चलेगा। इस प्रकार, लाभप्रदता में गिरावट आने का कारण अतिरेक क्षमता नहीं है, बल्कि पाटित आयात हैं। इसके अतिरिक्त, पाटित आयात न केवल चीन से, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हो रहे हैं।
- (11) अनुमानित मांग और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद 12,500 मीट्रिक टन की क्षमता स्थापित की गई है। 12,500 मीट्रिक टन की क्षमता में समान क्षमता के दो समानांतर रिएक्टर शामिल हैं। प्रक्रिया की आवश्यकताओं के अनुसार, कैटेलिस्ट की रिजेनरेशन के लिए प्रत्येक 45 दिनों के बाद लगभग दो सप्ताहों के लिए रिएक्टर को बंद करना पड़ता है। इस प्रकार, क्रमशः कैटेलिस्ट रिजेनरेशन की योजना द्वारा निरंतर उत्पादन सुनिश्चित किया जाता है। भिवाड़ी में स्थापित विद्यमान संयंत्र में एचएफसी – 32 में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, क्योंकि दहेज में विद्यमान क्षमताएं मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। चूंकि एसआरएफ के पास सीजीएमपी ग्रेड के एचएफसी-134ए का उत्पादन करने की विनिर्माण क्षमता उपलब्ध नहीं है, इसलिए निर्देशक मंडल ने 06 अगस्त, 2015 को हुई अपनी बैठक में 26 करोड़ रुपए की लागत से

ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उपलब्ध सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है।

निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन:

58. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- i. विभिन्न ग्रेड के विचाराधीन उत्पाद के क्षति विश्लेषण की ग्रेड-वार जांच की जानी चाहिए।
- ii. चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध उत्पाद के आयात वर्ष 2011-12 में 1600 मीट्रिक टन से घटकर जांच अवधि में 1289 मीट्रिक टन रह गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात वर्ष 2011-12 में 1622 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि में 2897 मीट्रिक टन हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, चीन जनवादी गणराज्य से आयातकों के हिस्से में भी गिरावट आई है जो कि 39.39% से घटकर 28.62 प्रतिशत रह गया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात के हिस्से में वृद्धि हुई है जो कि 39.91% से बढ़कर 64.31% लगभग दोगुना हो गया है। आवेदकों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात उनको गंभीर क्षति पहुँचा रहे हैं और न कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात।
- iii. घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका के अनुसार, जांच अवधि के दौरान याचिकादाता का उत्पादन 4,454 मीट्रिक टन है और भारत में कुल आयात 4,504 मीट्रिक टन है। इसलिए, यदि सभी स्रोतों से संबद्ध उत्पाद के आयात बंद कर दिए जाते हैं और याचिकादाता को भारत में समग्र मांग को पूरा करने की अनुमति दे दी जाती है, तो भी याचिकादाता अधिकतम 51% क्षमता उपयोग (17,500 मीट्रिक टन क्षमता) प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार, याचिकादाता के पास सदैव पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता बनी रहेगी। वस्तुतः घरेलू उद्योग को हुई किसी भी प्रकार की क्षति का कारण उसका त्रुटिपूर्ण प्रबंधन और मांग का गलत मूल्यांकन करना है।
- iv. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2013-14 में 5,000 मीट्रिक टन की अपना क्षमता को जांच अवधि के दौरान बढ़ाकर 17,500 मीट्रिक टन कर दिया है। मांग में गिरावट आने को ध्यान में रखते हुए जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमता को 250% तक बढ़ाने का कोई आर्थिक कारण नहीं है। याचिकादाता को हुई क्षति का मुख्य कारण उसकी अतिरिक्त क्षमता और चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न अन्य देशों से आयात होना है।
- v. याचिकादाता की लाभप्रदता में गिरावट आने का मुख्य कारण क्षमता में निरंतर वृद्धि करना है जिसके फलस्वरूप निर्धारित लागत और अर्द्ध-परिवर्तनीय लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसलिए, प्राधिकारी को बिक्रियों की लागत से निर्धारित अत्यधिक निर्धारित लागत और अर्द्ध-परिवर्तनीय लागत को बाहर रखना चाहिए।
- vi. वर्तमान क्षमता विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्रियों से लगभग दोगुनी हैं, जिसके फलस्वरूप अनप्रयुक्त क्षमताएं विद्यमान हैं। इन अप्रयुक्त क्षमताओं से क्षति के मार्जिन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। एनआईपी और सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय इसको समायोजित किया जा सकता है।
- vii. संबद्ध उत्पाद का प्रमुख प्रयोक्ता ऑटोमोबाइल उद्योग है, जो कि गिरावट की प्रवृत्ति दर्शा रहा है। इसलिए, याचिकादाता द्वारा अपनी क्षमता में तीन गुना संवर्द्धन करने से उसके निष्क्रिय प्रबंधन किए निर्णय को प्रतिबिंबित करता है।

- viii. यदि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का पहुँच मूल्य, याचिकादाता की घरेलू बिक्री कीमत से कम है, तो उससे घरेलू उद्योग की बिक्रियों से गिरावट आने की प्रवृत्ति का पता चलता क्योंकि आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर हैं। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्रियां, चीन जनवादी गणराज्य से आयातों की तुलना में अधिक हैं। यदि चीन से ऐसे आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती करते होते, तो घरेलू उद्योग की बिक्रियों की मात्रा में गिरावट आई होती, क्योंकि घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तुओं को अधिप्राप्त करने का कोई आर्थिक औचित्य नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा पेश की जा रही कीमतों और चीन जनवादी गणराज्य से आयातों के बीच कोई संबंध नहीं है।
- ix. कर्मचारियों की संख्या, स्थापित क्षमता, व्याज लागत, अन्य निर्धारित और अर्द्ध-परिवर्तनीय लागत में अनुचित वृद्धि के कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है। यदि याचिकादाता द्वारा अपनी क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की होती, तो उत्पादन की लागत में गिरावट आ जाती तथा लाभ में कोई गिरावट नहीं आती अथवा कीमत में ह्रास नहीं होता। इन कारकों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत क्षति हुई है।
- x. संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से विचाराधीन उत्पादों के आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। असंबद्ध देश से आयातों का बाजार का हिस्सा 35% से बढ़कर 41.22% हो गया है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मांग सूची भी दोगुनी हो गई है, जबकि चीन जनवादी गणराज्य से आयातों में गिरावट आई है। इस प्रकार, जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयातों और घरेलू उद्योग की मांग सूचियों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।
- xi. घरेलू उद्योग का यह दावा कि उसने 12,500 मीट्रिक टन की क्षमता वाले संयंत्र को आर्थिक व्यवस्था को समान रूप से बनाए रखने के लिए स्थापित किया है, पूर्णतः गलत है। मूल रूप से घरेलू उद्योग ने पहले 3,000 मीट्रिक टन की क्षमता का संयंत्र स्थापित किया था और बाद में उसकी क्षमता को बढ़ाकर 5,000 मीट्रिक टन कर दिया था। इसलिए, कम क्षमता का संवर्द्धन करना संभव है। अब गलत आकार के संयंत्र को स्थापित करके वह आर-32 का उत्पादन करने के लिए संयंत्र को परिवर्तित करके अपनी गलती में सुधार कर रहा है। वह दहेज में चिकित्सकीय ग्रेड के संयंत्र की स्थापना भी कर रहा है।
- xii. वर्ष 2013-14 से चीन के आयातों में गिरावट आई है और साथ ही चीन के आयात की कीमत में भी अत्यधिक कटौती हुई है। कीमतों में गिरावट आने से चीन से आयातों में वृद्धि होनी चाहिए थी। लेकिन इस प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है, इसलिए, आयातों की मात्रा और आयात कीमतों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।
- xiii. पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के कारण चीन के आयातों के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है और बाजार के हिस्से में ऐसी गिरावट को अन्य देशों के आयातों द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया है, जबकि घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा यथावत बना हुआ है।
- xiv. दो कच्चे माल (टीसीई और एएचएफ) की लागत, आर-134ए की कुल उत्पादन लागत का लगभग 65-70% है। जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात कीमत में गिरावट आने के कारण चीन में कच्चे माल की कीमत

में वृद्धि होना था। चीन जनवादी गणराज्य से आयातों का पहुँच मूल्य, कच्चे माल की कीमतों के समनुरूप है, जो कि आर-134ए की कुल लागत का लगभग 60-70% बनता है।

- xv. याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा किया गया लागत संबंधी दावा, कच्चे माल की लागत की प्रवृत्तियों के समनुरूप नहीं है। घरेलू उद्योग ने, जो कि पहले टीसीई का आयात करता था, अब उसका सक्रिय रूप से विनिर्माण करना शुरू कर दिया है। यह नोट किया जाता है कि भारत में मुख्य कच्चे माल की कीमत में 32.63% तक की कमी आई है। टीसीई से आर-134ए तक का मानदंड 1.4 से 1 है, जिसका अभिप्राय यह है कि कच्चे माल की कीमतों में आई गिरावट से आर-134ए की लागत $(70-52) \times 1.4 = 25.20$ रुपए तक प्रभावित हुई है। इसका अभिप्राय यह है कि परिवर्तनीय लागत में 25.20 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। इसके विपरीत, एसआरएफ ने यह दावा किया है कि उसकी कीमत में 7% तक की वृद्धि हुई है। इसलिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को बिक्रियों की लागत का निर्धारण करने के लिए याचिकादाता द्वारा यथा अपनाई गई प्रक्रिया को कंपनी के भीतर टीसीई की अंतरणीय कीमत का विश्लेषण भी करना चाहिए।
- xvi. पिछले चार वर्षों के दौरान देश में मांग में 800 मीट्रिक टन तक की वृद्धि हुई है, जबकि घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर 12,500 मीट्रिक टन तक कर दिया है। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को घाटे हुए हैं। क्षमता में असंगत वृद्धि करने के फलस्वरूप भी वेतन, मूल्यहास और व्याज लागत में वृद्धि हुई है। वस्तुतः 12,500 मीट्रिक टन तक की क्षमता का विस्तार करने का घरेलू उद्योग का मुख्य उद्देश्य चीन के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के कारण सृजित संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार को अधिगृहीत करना है।
- xvii. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि उसने अपनी क्षमताओं में तीन गुना संवर्द्धन, वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए किया था। इसके विपरीत जांच अवधि के दौरान निर्यात बिक्रियों में 48% तक की गिरावट आई है। एसआरएफ का अपनी क्षमताओं में विस्तार करने के निर्णय का उद्देश्य निर्यात बाजार को अधिगृहीत करना था, लेकिन आर-134ए अब समाप्त होने की कगार में है।
- xviii. जब आयात अपनी चरम सीमा पर थे, तब घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा था। आयातों में गिरावट आने से घरेलू उद्योग को घाटे होने शुरू हो गए हैं। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है।
- xix. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई क्षतिरहित कीमत अत्यधिक बनावटी है, और यह वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं है। डीजीएडी क्षतिरहित कीमत को आकलित करने के लिए 22% आरओसीई की प्रक्रिया को अपना रहा है। डीजीएडी को घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई को अपनाया जाना चाहिए था, जबकि पाटन का कोई आरोप नहीं लगाया गया था क्योंकि उचित लाभ मार्जिन हो रहा था और 22% आरओसीई नहीं था।
- xx. कीमत में कटौती होने के विश्लेषण से यह स्पष्ट पता नहीं चलता कि आयातों और बिक्री कीमत की प्रवृत्ति तथा घरेलू उद्योग की घरेलू मात्रा के बीच कोई सह-संबंध है। घरेलू उद्योग ने अत्यधिक बनावटी लागत के आधार पर कीमत के न्यूनीकरण और हास होने का दावा किया है।

- xxi. वर्ष 2011-12 में घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं की बिक्री 2977 मीट्रिक टन थी और जांच अवधि में यह बढ़कर 3297 मीट्रिक टन हो गई है। जांच अवधि और क्षति अवधि के दौरान चीन की संबद्ध वस्तुओं के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है, जो कि 23% से घटकर 17% हो गया है तथा घरेलू उत्पादक के बाजार का हिस्सा स्थिर बना हुआ है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियों में 48% तक की गिरावट आई है। इसलिए घरेलू उद्योग को हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिए अन्य कारक माने जा सकते हैं और न कि चीन की वस्तुएं।
- xxii. जब से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शुरू हुआ है, तब से विभिन्न क्षति प्राचलों ने बेहतर परिणाम दर्शाए हैं। घरेलू उद्योग की बिक्रियों और क्षमता उपयोग ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है। घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित कीमत न्यूनीकरण और ह्रास का दावा नकारात्मक है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को हुई क्षति और चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- xxiii. रेफ्रिजरेटरों के ओईएम क्षेत्र में आर-134 की मांग में अत्यधिक गिरावट आई है क्योंकि ऐसे विनिर्माताओं ने पहले से ही पर्यावरण अनुकूल आर-600ए को अधिप्राप्त करना शुरू कर दिया है।
- xxiv. ऑटोमोबाइल के ओईएम क्षेत्र में विनिर्माता, घरेलू विनिर्माताओं द्वारा विश्वसनीयता और समय पर आपूर्ति किए जाने तथा अन्य तकनीकी कारणों से स्थानीय विनिर्माताओं से आर-134 खरीदने के प्रति इच्छुक हैं। ऑटोमोबाइल का ओईएम क्षेत्र भी चीन के विनिर्माताओं के उत्पाद को खरीदने में इच्छुक नहीं है।
- xxv. छोटी कंपनियों का बिक्री पश्चात बाजार ऑटोमोबाइल और रेफ्रिजरेटरों की सर्विसिंग अथवा अनुरक्षण के क्षेत्र में है। ऐसी कंपनियां स्थानीय संवितरकों और चैनल पक्षकार के माध्यम से संबद्ध वस्तुएं खरीदती हैं, जबकि एसआरएफ अधिकतम बाजार हिस्से के साथ अग्रणी है।
- xxvi. पैक किए हुए और वल्क आर-134 की पृथक मांग है। वल्क आर-134ए के ग्राहक ओईएम हैं और पैक किए गए आर-134 की खपत बिक्री पश्चात बाजार द्वारा की जाती है। उपभोक्ताओं के विभिन्न क्षेत्र हैं, जो कि डियो पोंट अथवा एसआरएफ अथवा चीन के उत्पाद ब्राण्ड की विश्वसनीयता के आधार पर खरीददारी करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं पर पाटन-रोधी शुल्क अथवा कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- xxvii. सार्वजनिक सुनवाई के समय घरेलू उद्योग ने 26% आरओसीई के लिए अनुरोध किया था। प्राधिकारी ने विगत में विभिन्न मामलों में 22% आरओसीई पर विचार किया है। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को वर्तमान जांच में भी उचित आरओसीई पर विचार करना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

59. प्राधिकारी द्वारा नीचे दिया गया क्षति विश्लेषण वस्तुतः हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों का समाधान करता है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विशिष्ट निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) एनआईपी का निर्धारण करने के लिए कार्यप्रणाली से संबंधित निवेदन के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में संबद्ध दिशा-निर्देश पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-III के अंतर्गत पहले से ही निर्धारित किए गए हैं। प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-III के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के आधार

पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने सुसंगत अभिगम के मामले के रूप में 22% आरओसीई को अपनाया है।

- (2) इस निवेदन के संबंध में कि विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों के क्षेत्रीय विश्लेषण की ग्रेड-वार जांच की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है तथा विचाराधीन उत्पाद का अभिप्राय और कार्यक्षेत्र वही है जो कि मूल्य जांच में था। इसलिए क्षति का विश्लेषण करने की कार्यप्रणाली वही है, जो मूल जांच में थी।
- (3) इस तर्क के संबंध में कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों और न कि चीन जनवादी गणराज्य से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नीचे किए गए क्षति विश्लेषण में वस्तुतः चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के क्षति प्रभाव के बारे में उल्लेख किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ पहले से ही एक पाटन-रोधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।
- (4) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध पर्याप्त निष्क्रिय क्षमता उसकी क्षति का मुख्य कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास वस्तुतः निष्क्रिय क्षमता विद्यमान है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि चीन से पाटित आयातों का क्षति प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि बढ़ रही मांग ने घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया है, चीन से निरंतर पाटन होने के कारण घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने से प्रतिबंधित हुआ है।
- (5) इस तर्क के संबंध में कि ऑटोमोबाइल उद्योग में संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट आने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क सुसंगत नहीं है। उपलब्ध किसी भी प्रकार के आंकड़ों से ऐसा नहीं पता चलता है कि ऑटो क्षेत्र में संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट आने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- (6) इस तर्क के संबंध में कि उपभोक्ताओं के ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जो कि डियो पोंट अथवा एसआरएफ अथवा चीन के उत्पादों को ब्राण्ड की विश्वसनीयता के आधार पर खरीदते हैं और इसलिए ऐसे उपभोक्ताओं पर पाटन-रोधी शुल्क अथवा कीमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में वर्तमान निर्णय स्वतः स्पष्ट है। वर्तमान जांच केवल निर्णायक समीक्षा जांच है। मूल जांच में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध पूरी तरह से सिद्ध हो चुके हैं और पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए हैं। वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के तथ्य मूल जांच के तथ्यों से भिन्न नहीं हैं।
- (7) इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों के क्षति विश्लेषण की ग्रेड-वार जांच की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्त-प्रयोग के रूप में मुख्यतः दो किस्मों की संबद्ध वस्तुएं हैं, जोकि औद्योगिकीय और फार्मास्युटिकल ग्रेड हैं। औद्योगिकीय ग्रेड का उपयोग रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग आदि में किया जाता है, जबकि फार्मास्युटिकल ग्रेड, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा प्रोपेलेंट ग्रेड कहा जाता है, का उपयोग मुख्यतः मानवीय खपत के लिए औसत प्रोपेलेंट के रूप में किया जाता है। इन दोनों किस्मों के ग्रेडों के उत्पादन के संयंत्र और मशीनरी, कच्चा माल और प्रक्रिया एक समान होती हैं। इन दोनों के बीच अन्तर केवल शुद्धता के स्तर का होता है। फार्मास्युटिकल ग्रेड के लिए अपेक्षित शुद्धता मानव खपत के निमित्त न्यूनतम 99.98% है। चूंकि यह निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी ने क्षति का विश्लेषण करने के लिए उसी कार्य-प्रणाली को अपनाया है, जिसे मूल जांच में अपनाया गया था।

60. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों पर विचार करते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को यदि कोई वर्तमान क्षति हुई है, तो उसकी जांच करने की आगे की कार्रवाई करते हैं। अनुबंध-11 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे

आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ...” ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

61. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर उपरोक्त नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

62. वर्तमान जांच लागू पाटन-रोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियम 23 में ऐसा प्रावधान है कि नियम 11 के प्रावधान समीक्षा के मामले में भी यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ध्यान में रखा है। इसके अतिरिक्त, चूंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगे हुए हैं, इसलिए प्राधिकारी इस पर विचार करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर विद्यमान पाटन-रोधी शुल्कों पर घरेलू उद्योग की क्षति की जांच करते समय विचार करने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या मौजूदा पाटन-रोधी उपाय पर्याप्त हैं अथवा ऐसे पाटन को रोकने के प्रतिकारी हैं जो कि क्षति पहुँचा रहे हैं।

63. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (क) (5) के अनुसार लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को यदि पहले समाप्त नहीं कर दिया जाता है, तो वह उसको लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाएगा, परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।

64. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव तथा कीमतों और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि पाटन और क्षति के बीच क्षति और कारणात्मक संबंध के विद्यमान होने की जांच की जा सके। प्राधिकारी ने मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षति की जांच की है। तदनुसार, पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव की जांच की गई है जो कि निम्नानुसार है:-

मात्रा का प्रभाव

बाजार और बाजार का हिस्सा

65. प्राधिकारी ने संबद्ध देश और अन्य देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात आंकड़ों पर विचार किया है। भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत का वर्णन सभी स्रोतों से घरेलू बिक्रियों और आयातों के सारांश के रूप में किया है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यातों को परिकलन से बाहर रखा गया है ताकि प्रत्यक्ष खपत का पता लगाया जा सके। इस प्रकार से निर्धारित की गई मांग को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

प्राचल	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
संबद्ध देश – चीन जनवादी गणराज्य	मी.टन	1,350	1,491	1,088	1,316
पैक किए गए	मी.टन	181	316	113	183
पैक नहीं किए गए	मी.टन	1,169	1,174	975	1,132

अन्य देश	मी.टन	2,230	3,094	2,836	2,439
कुल आयात	मी.टन	3,579	4,585	3,924	3,755
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	2,977	2,730	2,962	3,297
निर्धारित मांग	मी.टन	6,556	7,315	6,886	7,051
मांग में बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश – चीन जनवादी गणराज्य	%	20.58	20.38	15.81	18.66
पैक किए गए	%	2.75	4.33	1.64	2.60
पैक नहीं किए गए	%	17.83	16.05	14.16	16.06
अन्य देश	%	34.01	42.30	41.18	34.59
कुल आयात	%	54.59	62.68	56.99	53.25
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	45.41	37.32	43.01	46.75
निर्धारित मांग	%	100.00	100.00	100.00	100.00

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल वर्ष के साथ-साथ विगत वर्ष की तुलना में जांच अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। मूल वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश के बाजार के हिस्से में मामूली गिरावट आई है लेकिन तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उसमें वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार का हिस्सा लगभग उसी स्तर पर बना हुआ है जो मूल वर्ष में था।

संबद्ध देश के आयात की मात्रा और उसका हिस्सा

67. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करना आवश्यक होता है कि क्या पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के प्रसंग में पाटित आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II (2) में उल्लिखित व्यवस्था निम्नानुसार है:-

“पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के प्रसंग में अत्यधिक वृद्धि हुई है।”

68. डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदत्त किए गए कारोबार-वार आंकड़ों पर विचार करते हुए क्षति अवधि में आयात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
आयात की मात्रा					
संबद्ध देश - चीन जनवादी गणराज्य	मी.टन	1,350	1,491	1,088	1,316
अन्य देश	मी.टन	2,230	3,094	2,836	2,439
कुल आयात	मी.टन	3,579	4,585	3,924	3,755
पैक किए गए आयात					
संबद्ध देश - चीन जनवादी गणराज्य	मी.टन	181	316	113	183
अन्य देश	मी.टन	125	115	315	420
कुल आयात	मी.टन	306	431	428	603

पैक किए गए आयात					
संबद्ध देश - चीन जनवादी गणराज्य	मी.टन	1,169	1,174	975	1,132
अन्य देश	मी.टन	2,104	2,979	2,521	2,019
कुल आयात	मी.टन	3,273	4,154	3,496	3,151
आयात की मात्रा					
संबद्ध देश - चीन जनवादी गणराज्य	लाख रुपए	4,052	3,703	2,053	2,378
अन्य देश	लाख रुपए	7,039	11,518	9,346	7,308
कुल आयात	लाख रुपए	11,091	15,220	11,398	9,687
पैक किए गए आयात					
संबद्ध देश - चीन जनवादी गणराज्य	लाख रुपए	573	1,010	263	434
अन्य देश	लाख रुपए	540	556	1,203	1,350
कुल आयात	लाख रुपए	1,112	1,566	1,465	1,784
पैक नहीं किए गए आयात					
संबद्ध देश - चीन जनवादी गणराज्य	लाख रुपए	3,479	2,692	1,790	1,945
अन्य देश	लाख रुपए	6,499	10,962	8,143	5,958
कुल आयात	लाख रुपए	9,978	13,654	9,933	7,903
आयात कीमत					
संबद्ध देश - चीन जनवादी गणराज्य	रुपए/किग्रा	300	248	189	181
अन्य देश	रुपए/किग्रा	316	372	330	300
कुल आयात	रुपए/किग्रा	310	332	290	258
पैक किए गए आयात					
संबद्ध देश - चीन जनवादी गणराज्य	रुपए/किग्रा	317	319	232	237
अन्य देश	रुपए/किग्रा	431	485	382	321
कुल आयात	रुपए/किग्रा	364	363	342	296
पैक नहीं किए गए आयात					
संबद्ध देश - चीन जनवादी गणराज्य	रुपए/किग्रा	298	229	184	172
अन्य देश	रुपए/किग्रा	309	368	323	295
कुल आयात	रुपए/किग्रा	305	329	284	251

69. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- (1) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद चीन से आयात की मात्रा समस्त क्षति अवधि में पूर्णरूपेण अत्यधिक बनी हुई है।
- (2) इसी अवधि में संबद्ध वस्तुओं की मांग/प्रत्यक्ष खपत भी लगभग उतनी ही बनी हुई है।
- (3) चीन जनवादी गणराज्य से पूर्णरूपेण आयात की मात्रा में वर्ष 2013-14 के छोड़कर सुसंगत वृद्धि हुई है।

70. नीचे दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय उत्पादन और खपत के प्रसंग में संबद्ध देश के आयात अत्यधिक बने हुए हैं:-

संबद्ध देश से आयात	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
खपत के संबंध में	%	20.58	20.38	15.81	18.66
भारतीय उत्पादन के संबंध में	%	36.22	52.24	32.98	29.54

कीमत प्रभाव

पाटित आयातों के कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव

71. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों के प्रभाव की जांच कीमत में कटौती होने, कम कीमत में बिक्री होने, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की तुलना पाटित आयातों के पहुँच मूल्य और घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत के बीच की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली का निर्धारण करने में घरेलू उद्योग द्वारा वहन किए गए करों, छूटों, डिस्काउंट्स और कमीशन व्यय को समायोजित किया गया है। क्षति का मूल्यांकन करने के लिए कम कीमत पर बिक्री होना एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत का आकलन किया है और उसकी तुलना पहुँच मूल्य के साथ की है ताकि कम कीमत पर बिक्री की सीमा का पता लगाया जा सके। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार, घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का मूल्यांकन किया गया है। इसकी स्थिति निम्नानुसार है।

कीमत में कटौती

72. प्राधिकारी ने कीमत में कटौती होने का विश्लेषण किया है जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
कुल आयात					
पहुँच मूल्य	रुपए/किग्रा	334.45	263.82	200.27	191.97
निवल बिक्री वसूली	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
कीमत कटौती	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% सीमा	15-25	25-35	35-45	35-45
पैक किए गए					
पहुँच मूल्य	रुपए/किग्रा	353.32	339.04	246.55	251.23
निवल बिक्री वसूली	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
कीमत कटौती	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***

कीमत कटौती	% सीमा	35-45	30-40	40-50	35-45
पैक नहीं किए गए/खुले					
पहुँच मूल्य	रुपए/किग्रा	331.54	243.55	194.90	182.38
निवल बिक्री वसूली	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
कीमत कटौती	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% सीमा	15-25	30-40	35-45	35-45

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों की पहुँच कीमत (मूल सीमा शुल्क को शामिल करने के बाद) पैक किए गए और पैक नहीं किए गए दोनों रूप में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अत्यधिक कम है। इस प्रकार, इसके फलस्वरूप कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही हैं। वर्तमान कीमत कटौती के स्तर से यह सिद्ध होता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होने की संभावना है।

कम कीमत पर बिक्री

74. कम कीमत पर बिक्री का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित की गई घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से की गई है। पैक किए गए और पैक नहीं किए गए रूप में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत में व्याप्त अत्यधिक अंतर को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई और भारत में आयात की गई संबद्ध वस्तुओं के प्रत्येक रूप के लिए पृथक कम कीमत पर बिक्री होने का निर्धारण किया गया है। सह-योजित आयात मात्रा पर विचार करते हुए समग्र विचाराधीन उत्पाद के लिए अंततः कम कीमत पर बिक्री होने का निर्धारण किया गया है। भारित औसत आंकड़ों के आधार पर कम कीमत पर बिक्री को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण	यूनिट	पैक किए गए	पैक नहीं किए गए	भारित औसत
क्षतिरहित कीमत (एनआईपी)	यूएस\$/किग्रा	***	***	***
पहुँच कीमत	यूएस\$/किग्रा	4.08	2.96	3.11
कम कीमत पर बिक्री	यूएस\$/किग्रा	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	% सीमा	80-90	85-95	85-95

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री पैक किए गए और पैक नहीं किए गए दोनों रूप के साथ समग्र उत्पाद के लिए अत्यधिक सकारात्मक थी।

पाटित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभाव

76. जांच अवधि सहित क्षति अवधि के प्रसंग में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत, निवल बिक्री वसूली और पहुँच मूल्य के संदर्भ में पाटित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभावों की भी जांच की गई है।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	93	105
विक्रय मूल्य	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	77	74
पहुँच मूल्य	रुपए/किग्रा	334.45	263.82	200.27	191.97
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	60	57

77. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- (1) आयातों की पहुँच कीमत जांच अवधि सहित समग्र क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अत्यधिक कम है।
- (2) बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों में अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डाले हैं। जबकि वर्ष 201-13 और जांच अवधि में संबद्ध वस्तुओं की लागत में वृद्धि हुई है, फिर भी जांच अवधि में आयात कीमतों में गिरावट आने से बिक्री कीमत में गिरावट आई है।

घरेलू उद्योग के संबंध में आर्थिक प्राचलों की जांच

78. नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के संबंध में विभिन्न आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

79. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों के संबंध घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
क्षमता	मी.टन	5,000	5,000	5,000	11,250
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	225
उत्पादन	मी.टन	3,726	2,853	3,300	4,454
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	89	120

क्षमता उपयोग	%	75	57	66	40
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	89	53
घरेलू बिक्री	मी.टन	2,977	2,730	2,962	3,297
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	99	111

80. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- (1) घरेलू उद्योग ने जांच अवधि में अपनी क्षमता बढ़ाई है। याचिकादाता ने यह दावा किया है कि उसकी क्षमता में ऐसा संवर्द्धन देश में उत्पाद के लिए वर्तमान और संभावित मांग के अनुसार पूर्णतया यथोचित है।
- (2) वर्ष 2012-13 में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है और उसके बाद वर्ष 2013-14 और जांच अवधि में उसमें वृद्धि हुई है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई है क्योंकि घरेलू उद्योग क्षमता में वृद्धि होने के साथ उत्पादन में वृद्धि करने में असमर्थ था।
- (3) घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा से उसी प्रवृत्ति का पता चलता है जो कि क्षति अवधि में उत्पादन की प्रवृत्ति थी। याचिकादाता ने यह दावा किया है कि उत्पादन करने और आयात कीमतों के समान अपनी कीमतों को कम करके उत्पाद को बेचने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था ताकि वह उत्पादन सुविधाओं का उपयोग करे सके तथा उसे निष्क्रिय होने से बचा सके।
- (4) पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त करने के फलस्वरूप आयातित उत्पादों की मात्रा में वृद्धि होगी। इससे घरेलू उद्योग के उत्पाद की मांग में स्पष्ट गिरावट आएगी जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है।

माल सूचियां

81. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत माल सूची के स्तर में वृद्धि हुई है:

प्राचल	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
औसत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	106	218

लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ नकदी प्रवाह

82. क्षति अवधि के दौरान लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ नकदी प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन निम्नानुसार था:-

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	93	105
विक्रय मूल्य	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	77	74

लाभ/हानि	रुपए/किग्रा	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	33	33	(9)
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	30	33	(10)
नकदी लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	43	44	32
पीबीआईटी	लाख रुपए	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	33	36	(3)
आरओसीई	%	***	***	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	15	15	(0)

83. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- (1) हालांकि, जांच अवधि में लागत में वृद्धि हुई है, क्षति अवधि में बिक्री कीमत में गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप लाभ में इस सीमा तक गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को जांच अवधि में घाटे हुए हैं।
- (2) क्षति अवधि के दौरान नकदी लाभ और लाभ पूर्व ब्याज और कर में गिरावट आई है।
- (3) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ से भी उसी प्रवृत्ति का पता चलता है जो कि नकदी प्रवाह की प्रवृत्ति है।

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के निरंतर पाटन होने के कारण उचित लाभ अर्जित करने में समर्थ नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश की आयात कीमतों में गिरावट आई है। भारतीय बाजार में पाटित आयातों का प्रवेश करने से घरेलू उद्योग के पास बाजार में सुस्थिर बने रहने के लिए उप-अनुकूलतम कीमतों पर वस्तुओं को बेचने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। याचिकादाता ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को उसके उत्पाद के लिए उचित कीमत प्रभारित करने से रोका गया था।

रोजगार और वेतन

85. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 में हुई गिरावट को छोड़कर अदा किए गए वेतन में भी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये प्राचल अनेक प्राचलों की संख्या पर निर्भर करते हैं और ये घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। जबकि जांच अवधि में उत्पादन में हुई वृद्धि के अनुरूप प्रति दिवस उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जांच अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट दिखाई दी है क्योंकि इस दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	154	250
वेतन	लाख रुपए	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	81	151
प्रतिदिन उत्पादकता	मी.टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	89	120
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	69	58	48

ठ. पाटन की मात्रा

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों का पाटन मार्जिन पर्याप्त है।

ड. संवृद्धि

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन, विक्रियों की मात्रा और बाजार के हिस्से के रूप में घरेलू उद्योग की संवृद्धि ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है, जबकि बिक्री कीमत और लाभ ने गिरावट आने की प्रवृत्ति दर्शाई है। याचिकादाता ने यह दावा किया है कि इसका कारण विचाराधीन उत्पाद के पाटन आयातों का निरंतर बने रहना है।

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	जांच अवधि
उत्पादन	%	-	-23.42	15.67	34.96
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-	-8.30	8.49	11.30
बिक्री की लागत	%	-	8.79	-14.56	12.84
विक्रय मूल्य	%	-	-11.67	-13.09	-3.44
लाभ/हानि प्रति यूनिट	%	-	-66.92	-0.10	-127.14

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार किया है जोकि देश में मांग को पूरा करने के लिए अत्यधिक पर्याप्त है तथा इससे देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। इसलिए, उत्पाद का पाटन निवेशों और विस्तारित संयंत्र को प्रभावित करता है।

ढ. कारणात्मक संबंध

89. प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या कोई अन्य ज्ञात कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, जो कि निम्नानुसार है:-

(क) तृतीय देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से इतर अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर न्यूनतम रही है। घरेलू उद्योग ने संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में एक पाटन-रोधी याचिका दायर की है।

(ख) मांग में संकुचन और खपत के पैटर्न में परिवर्तन

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी आदे यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार किया है। तथापि, घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण उपलब्ध मांग की सीमा तक अपनी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ रहा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद से संबंधित खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) प्रौद्योगिकी में विकास

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में ऐसे विशेष परिवर्तन को प्रदर्शित करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

(घ) प्रतिस्पर्द्धा की दशाएं और व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धतियां

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। ऐसी कोई व्यापारिक प्रतिबंधित पद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति हो सकती है।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

94. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन प्रासंगिक नहीं है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ घरेलू और निर्यात बाजार में कीमत और लाभप्रदता को पृथक किया गया है। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण निर्यातों को नहीं माना जा सकता है।

(च) क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

95. प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध वस्तुओं की क्षतिरहित कीमत की तुलना, जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से आयातों के मूल्य से की गई है। पैक किए गए और पैक नहीं किए गए उत्पादन की लागत में व्याप्त अत्यधिक अंतर को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को बेची गई संबद्ध वस्तुओं के प्रत्येक रूप के लिए पृथक क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है। सहयोजित आयात मात्राओं पर विचार करते हुए समग्र विचाराधीन उत्पाद के लिए अंततः क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है। भारित औसत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	पैक किए गए	पैक नहीं किए गए	भारित औसत
क्षतिरहित कीमत (एनआईपी)	यूएस\$/किग्रा	***	***	***
पहुँच कीमत	यूएस\$/किग्रा	4.08	2.96	3.11
क्षति मार्जिन	यूएस\$/किग्रा	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षति मार्जिन	% सीमा	80-90	85-95	85-95

96. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान समग्र विचाराधीन उत्पाद के लिए तथा पैक किए गए और पैक नहीं किए गए दोनों रूप के संबंध में क्षति मार्जिन अत्यधिक सकारात्मक है।

ण. आर्थिक क्षति पर निष्कर्ष

97. जांच से ऐसा पता चला है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी संबद्ध देश से पूर्णरूपेण और भारत में उत्पादन/खपत के प्रसंग में आयात अत्यधिक बने हुए हैं। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री हुई है तथा ऐसे आयातों का प्रभाव अत्यधिक सीमा तक कीमतों को न्यूनतम बनाना था। घरेलू उद्योग पर चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में जांच से ऐसा पता चला है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में

क्षमता उपयोग, लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे प्राचलों के रूप में अत्यधिक गिरावट आई है। इस प्रकार, जांच से यह पता चला है कि घरेलू उद्योग को चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण निरंतर क्षति हुई है।

त. पाटन के निरंतर बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति और क्षति होने की संभावना

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

98. पाटन के निरंतर बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति और क्षति होने की संभावना के संबंध में अपने दावे के समर्थन में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) जांच अवधि के दौरान अत्यधिक पाटन मार्जिन से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन के निरंतर बने रहने और गहन होने की संभावना है।
- (2) पाटन-रोधी शुल्क के लागू होने के बावजूद भी घरेलू बाजार में किए गए आयात पाटित कीमतों पर किए गए हैं। आयात की मात्रा में गिरावट न केवल लागू पाटन-रोधी शुल्क के कारण ही नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थिति में परिवर्तन होने के कारण भी हुई है।
- (3) पाटन-रोधी शुल्क के लागू होने के बाद भी संबद्ध देश से पाटन होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग को कम दर पर प्रतिलाभ अर्जित हो रहा है जिसमें विगत दो वर्षों में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग उचित लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ प्राप्त करने की आशा लगाए हुए है। ऐसी आशा थी कि घरेलू उद्योग की दशा पाटन-रोधी शुल्क के अनुशासन के अंतर्गत सुधरेगी लेकिन घरेलू उद्योग की दशा भंगुर बनी हुई है।
- (4) समग्र क्षति अवधि के दौरान पाटन होता रहा है। इसके अतिरिक्त, विगत पाटन-रोधी जांच के दौरान भी अत्यधिक पाटन मार्जिन विद्यमान रहा है। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि घरेलू उद्योग को पाटन से क्षति होने की संभावना है।
- (5) संबद्ध देश के उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता विद्यमान है। इससे यह सिद्ध होता है कि शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में भी भारत को किए जाने वाले निर्यात और गहन होंगे।
- (6) संबद्ध देश से निर्यातक पाटित कीमतों पर तृतीय देशों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं।
- (7) वर्तमान जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों ही सकारात्मक हैं और चीन जनवादी गणराज्य के मामले में यह अत्यधिक है। प्रचलित पाटन-रोधी शुल्कों के बिना कीमत में कटौती सकारात्मक है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी लाभ भी अत्यधिक नकारात्मक होगा।
- (8) आयात कीमतें वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं। इसलिए उपभोक्ता पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में आयातित उत्पाद को ही प्राथमिकता देंगे जिसके फलस्वरूप उत्पाद के आयातों में अत्यधिक वृद्धि होगी।
- (9) घरेलू उद्योग पहले से ही पाटित आयात कीमतों के कारण कीमत न्यूनीकरण से नुकसान उठा रहा है जो कि घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से काफी कम है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत को और भी कम करने के लिए विवश होना पड़ेगा ताकि वह पाटित आयातों से प्रतिस्पर्द्धा कर सके। इस प्रकार, उसे बिक्रियों की लागत से कम कीमत पर उत्पाद को बेचना होगा जिसके फलस्वरूप उसे विकट कीमत क्षति होगी।
- (10) विदेशी उत्पादकों का सकेन्द्रण निर्यातों पर है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है कि ये निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत को अपने निर्यातों में वृद्धि करेंगे।
- (11) भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। उपभोक्ता मुख्यतः कीमत के आधार पर अपनी अधिप्राप्ति करने का निर्णय लेते हैं। ऐसी स्थिति में बाजार में संबद्ध देश से कम कीमत के आयातों की उपलब्धता से निश्चित

रूप से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति के निरंतर बने रहने/उसमें वृद्धि होने की संभावना है।

उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और अन्य प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

99. पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) घरेलू उद्योग में जांच अवधि के पश्चात ऐसा कोई भी आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे ऐसा पता चलता हो कि पाटन निरंतर बना हुआ है अथवा उसके कारण उसकी क्षति हो रही है ताकि पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति का दावा किया जा सके।
- (2) आयात की मात्रा इतनी कम है कि संबद्ध आयातों की मात्रा से घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने की संभावना है।
- (3) संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कमीशन द्वारा कोई पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाया गया है। चीन जनवादी गणराज्य से आयातों पर किसी भी देश में कोई सक्रिय व्यापारिक प्रतिबंध नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों में वृद्धि होगी।
- (4) निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुच्छेद 11(3) के अंतर्गत दायित्वों के अनुसार "संभावित निर्धारण" करना चाहिए जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की जांच से इस प्रश्न का निदान किया जाना चाहिए कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति के फलस्वरूप पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।
- (5) घरेलू उद्योग को निर्दिष्ट प्राधिकारी से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ है। चूंकि, मूल जांच में लगाए गए अनंतिम शुल्क की सम्पुष्टि पाटन-रोधी शुल्क के निश्चयात्मक प्रभारित किए जाने से हुई है। ऐसा पर्याप्त संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग धोखे से ऐसा दावा कर रहा है कि पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति अथवा निरंतर बने रहने की संभावना है जिसके लिए उसने कोई सहायक आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- (6) घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त क्षमताओं के आरोपित विद्यमान होने तथा क्षति की पुनरावृत्ति होने के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया है। यहाँ तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को भी यह परिकल्पना करनी पड़ी है कि उसके पास अतिरिक्त क्षमताएं विद्यमान हैं। ऐसे आंकड़ों के स्वतः विद्यमान होने से पाटन-रोधी शुल्कों को आगे बढ़ाने का कोई आधार नहीं बन सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

100. वर्तमान जांच, चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को निरंतर लागू रखे जाने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें इसकी जांच करने की भी आवश्यकता है कि क्या लगाया गया शुल्क क्षति पहुँचाने वाले पाटन को दूर करने के उद्देश्य को पूरा करता है।

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क के लागू होने का बावजूद भी वर्तमान जांच में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है। इसके कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के निरंतर/गहन पाटन होने की संभावना है जिसके कारण घरेलू उद्योग को निरंतर/विकट क्षति होगी। निरंतर पाटन होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने को ध्यान में रखते हुए संभावित पाटन और क्षति को सिद्ध करने का संभावित विश्लेषण अब अप्रासंगिक हो जाएगा। तथापि, जहाँ तक संबद्ध वस्तुओं की मांग और कीमत का संबंध है, भारतीय बाजार में प्रचलित अनुपूर्ण बाजार दशाओं के कारण तथा संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन के उद्योगों के पास उपलब्ध क्षमताओं और उनके निर्यातोन्मुख होने को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में चीन जनवादी गणराज्य

से पाटन गहन हो सकता है। पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में निम्नलिखित विश्लेषण से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने/गहन होने की संभावना का पता चलेगा।

(1) वर्तमान और विगत पाटन मार्जिन का स्तर

102. पूर्ववर्ती जांच के साथ-साथ वर्तमान जांच में चीन के संबंध में पाटन मार्जिन का स्तर अत्यधिक है। घरेलू उद्योग के पास मांग को पूरा करने की अत्यधिक क्षमता होने के बावजूद भी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात निरंतर पाटित कीमतों पर हो रहे हैं। कीमत में कटौती होने के स्तर को ध्यान में रखते हुए चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के प्रभाव, पाटित आयातों की मात्रा से ऐसी संभावना है कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इनमें और वृद्धि होगी।

(2) भारतीय बाजार का कीमत संबंधी आकर्षण

103. जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, वे उस कीमत से पर्याप्त रूप से काफी कम हैं, जिस पर भारतीय बाजार में वस्तुओं को बेचा जा रहा है। इसलिए, शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से निर्यात, उसके पास उपलब्ध अत्यधिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में उनकी आउटपुट को और अधिक श्रेणीबद्ध करेंगे। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग को क्षति होने की स्पष्ट संभावना है। पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में संभावित रूप से कटौती करते हैं। ऐसी संभावना है कि कीमत में कटौती होने से घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को और कम करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

(3) संबद्ध देश में उत्पादकों का निर्यात उन्मुखीकरण

104. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि विदेशी निर्यातक/उत्पादक निर्यातों पर सघन रूप से संकेंद्रित हैं। पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है कि ये निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत को अपने निर्यातों में वृद्धि करेंगे।

(4) संबद्ध देश में अत्यधिक उत्पादन क्षमता

105. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण से पता चलता है कि चीन जनवादी गणराज्य के पास बेशी क्षमता विद्यमान है जो कि पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में पाटन करने में सक्षम है।

(5) उपाय नहीं होने की स्थिति में कीमत में कटौती और कीमत न्यूनीकरण

106. चीन जनवादी गणराज्य से जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, वे घरेलू बाजार में बेची जा रही वस्तुओं की कीमत से पर्याप्त रूप से काफी कम हैं। इसलिए, पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में ऐसी संभावना है कि संबद्ध देश से निर्यातक उनके पास उपलब्ध अत्यधिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में अपने आउटपुट को श्रेणीबद्ध कर सकते हैं।

थ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

107. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी द्वारा दी गई समय-सीमा अपर्याप्त है।
- (2) याचिकादाता द्वारा अपनी याचिका में किए गए दावे के अनुसार उसके आयात के आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण वस्तु-दर-वस्तु के आंकड़ों से मेल नहीं खाता है और यह प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा विचारित आयातों की मात्रा से भी नहीं मिलता है।

- (3) प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है। यह अनुरोध है कि ये आंकड़े अपरिष्कृत और छांटे गए दोनों रूप में प्रतिवादी को सॉफ्ट कापी में प्रदान किए जाएं।
- (4) याचिकादाता द्वारा विश्वास किए गए आयात के आंकड़ों के अनुसार आयातों की अधिक मात्रा गैर-विचाराधीन उत्पाद मदों से संबंधित है। अधिक आयात दर्शाने के लिए याचिकादाता ने समीक्षा अवधि में आयात की मात्रा में फार्मा ग्रेड आर-134ए को भी शामिल कर लिया है।
- (5) मेसर्स एसआरएफ के पास फार्मा ग्रेड आर-134ए का विनिर्माण करने की प्रौद्योगिकी और क्षमताएं विद्यमान नहीं हैं। आयात के आंकड़ों फार्मा ग्रेड के आयातों को यह दर्शाने के लिए शामिल किया गया है कि भारत में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय यूनियन से होने वाले आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं।
- (6) फार्मा ग्रेड का उत्पादन करने के लिए आर-134ए विनिर्मित किए जाने के बाद उसका और संसाधन किए जाने की आवश्यकता होती है। आर-134ए का प्रयोग, फार्मा ग्रेड के आर-134ए बनाने के लिए किया जाता है। ये दोनों विभिन्न ग्रेडों और श्रेणियों के होते हैं। समीक्षा अवधि के दौरान मेसर्स एसआरएफ फार्मा ग्रेड के आर-134ए को विनिर्मित नहीं कर रहा था। मेसर्स एसआरएफ ने वर्ष 2015 में ड्यूपोंट के ग्लोबल एचएफसी 134ए विनियमित चित्तिसकीय फार्मेस्युटिकल को अधिप्राप्त किया था।
- (7) डीजीएडी ने आर-134ए के केन फॉर्म और आईएसओ टैंक फॉर्म दोनों के लिए पृथक रूप से पाटन और क्षति मार्जिन का पूर्वाकलन किया है। इन दोनों प्रकार के उत्पादों की कीमत और लागत में अत्यधिक अंतर व्याप्त है। इसलिए इन दोनों प्रकार के उत्पादों के लिए शुल्क की पृथक दरें निर्धारित की जानी चाहिए।
- (8) प्रकटन विवरण में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली का प्रकटन नहीं किया गया है। इसमें ऐसा उल्लेख नहीं है कि क्या उसने उत्पादन की लागत का पूर्वाकलन करने के लिए कच्चे माल की घरेलू कीमतों अथवा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी को उसकी सुसंगत पद्धति के अनुसार सामान्य मूल्य का पूर्वाकलन करने के लिए कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को अपनाना चाहिए।
- (9) संबंधित उत्पाद के भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए पाटन-रोधी उपाय लागू करना हानिकारक होगा क्योंकि पाटन-रोधी उपाय उन्हें काफी अतिरिक्त लागत का वहन करने के लिए विवश करेंगे।
- (10) उत्पादकों और उनकी व्यापारिक कंपनियों ने प्राधिकारी को पूर्ण सहयोग दिया है। उनके उत्तरों को खारिज करना यथोचित नहीं है।
- (11) निर्यातक देश अथवा क्षेत्र से निर्यात तभी पूरे हो जाते हैं, जब निर्यातक देश के सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा उनको क्लीयर कर दिया जाता है। इसलिए वर्तमान मामले में संबद्ध वस्तुओं के निर्यात चीन जनवादी गणराज्य से किए गए थे, क्योंकि चीन के सीमा शुल्क के प्राधिकारियों द्वारा उनको क्लीयर कर दिया गया था और जिन कीमतों पर चीन के सीमा शुल्क के प्राधिकारियों द्वारा उनको क्लीयर किया जाता है, भारत को किए गए निर्यात की वही कीमत होती है। प्राधिकारी को पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिए उसी कीमत को अपनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब कि कोई निर्यात कीमत नहीं होती है अथवा जब निर्यातक, आयातक अथवा तृतीय पक्षकार (मुख्यतया व्यापारी) के बीच कोई संबंध अथवा प्रतिपूर्ति करने की कोई व्यवस्था नियत होने के कारण कीमत अविश्वसनीय होती है, तो उस स्थिति में जांच प्राधिकारी प्रथम स्वतंत्र क्रेता के लिए निर्यात कीमत संरचित कर सकते हैं, चाहे वह भारत अथवा भारत से बाहर अवस्थित हो।
- (12) पाटन और क्षति के बीच कोई संबंध नहीं है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हो रही है और इसके विपरीत लगभग 10% आयातों द्वारा मांग में वृद्धि होने के बावजूद चीन से

निर्यात में गिरावट आ रही है। अन्य देशों से आयातों में वृद्धि हुई है, जब कि चीन जनवादी गणराज्य से आयातों में तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्रियों में गिरावट का घरेलू उद्योग के प्रचालनों पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- (13) जब आयात शिखर पर थे तब घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा था। आयातों में गिरावट आने से घरेलू उद्योग को घाटे होने शुरू हो गए और वह भी जब घरेलू उद्योग की वसूली शिखर पर थी। घरेलू कीमतों और आयात की मात्राओं के चलन के बीच कोई सह संबंध नहीं है। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है।
- (14) मूल जांच और निर्णायक समीक्षा जांच में अपनाई गई जांच की प्रक्रिया पूर्णतया भिन्न है। जब कि मूल जांच में भारतीय पद्धति के अनुसार पाटन मार्जिन का निर्धारण करने और आर्थिक क्षति को सिद्ध करने के लिए जांच की गई थी, विश्व व्यापार संगठन के पाटन रोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत की जाने वाली जांच में इनके अतिरिक्त यह निर्धारण किया जाना शामिल होता है कि क्या पाटन अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकारी को अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत निर्धारित किए गए दायित्वों के अनुसार “संभावित निर्धारण” करना चाहिए।
- (15) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को प्रतिलाभ की 22% दर गलत तरीके से स्वीकृत की है।
- (16) अंतिम समीक्षा में प्राधिकारी की शक्ति, शुल्क को निरंतर लागू रखने अथवा उसको समाप्त करने तक सीमित है और न कि उसका संवर्धन करने के लिए है।

108. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (1) चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में निरंतर प्रवेश कर रहा है। इसके अतिरिक्त संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है।
- (2) चूंकि अंतिम समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद वही है, जो कि मूल जांच में है, इसलिए क्षति का विश्लेषण करने की कार्य-प्रणाली भी वही है जो कि मूल जांच में थी और इसलिए इसकी ग्रेड-वार जांच किए जाने की आवश्यकता है।
- (3) किए गए क्षति विश्लेषण से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का क्षति प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने संयुक्त राज्य अमरीका के खिलाफ पहले से ही पाटन-रोधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हुआ है।
- (4) घरेलू उद्योग ने मांग में वृद्धि होने के कारण अपनी क्षमता का विस्तार किया है। घरेलू उद्योग की निष्क्रिय क्षमता से चीन से पाटित आयातों के क्षति प्रभाव का निराकरण नहीं हो जाता है।
- (5) वर्तमान जांच अंतिम समीक्षा जांच है, इसलिए क्षति का विश्लेषण करने के लिए वही कार्य-प्रणाली अपनाई गई है जो कि मूल जांच में अपनाई गई थी। इसलिए विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों का ग्रेड-वार क्षति विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- (6) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के निरंतर पाटन होने की संभावना है।
- (7) पाटन-रोधी शुल्क का स्वरूप वही होना चाहिए जो कि मूल जांच में था और यह शुल्क अमरीकी डालर के रूप में लगाया जाना चाहिए। उपायों का स्वरूप, संबद्ध देश से शुल्क की नियत मात्रा के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता है।

- (8) संबद्ध देश से पाटन कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का भारत में निरंतर निर्यात किया जा रहा है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन के गहन होने की संभावना है।
- (9) वर्तमान जांच अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों सकारात्मक हैं। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- (10) पाटन-रोधी शुल्क की मात्रा को बढ़ाए जाने के साथ-साथ इसे आगे पांच वर्ष की अवधि तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

109. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकारी द्वारा दी गई समय सीमा के अपर्याप्त होने के तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी जांच की समय-बद्ध प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दिया गया समय पर्याप्त था।

110. इस तर्क के संबंध में कि याचिकादाता द्वारा अपनी याचिका में किए गए दावे के अनुसार उसके आयात के आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण वस्तु-दर-वस्तु के आंकड़ों से मेल नहीं खाता है और यह प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा विचारित आयातों की मात्रा से भी नहीं मिलता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकादाता ने याचिका प्रस्तुत किए जाने के समय आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत पर विश्वास किया था। लेकिन जैसा कि इस परिणाम की प्रक्रिया के भाग में पहले से ही स्पष्ट किया गया है, जांच शुरू करने के बाद प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आंकड़ों पर विश्वास किया है। इसके अतिरिक्त इस परिणाम में केवल विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रख कर अपेक्षित विश्लेषण किया गया है।

111. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पास फार्मा ग्रेड आर-134ए का विनिर्माण करने की प्रौद्योगिकी और क्षमताएं विद्यमान नहीं हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अंत प्रयोग के रूप में मुख्यतया संबद्ध वस्तुएं दो प्रकार की हैं, अर्थात् औद्योगिक और फार्मास्युटिकल। औद्योगिक किस्म के उत्पाद का प्रयोग, रेफरीजेशन और एयर कंडीशनिंग आदि के लिए किया जाता है, जबकि फार्मास्युटिकल किस्म के उत्पाद का प्रयोग, मुख्यतया मानवीय खपत के लिए औषध के प्रोपलेंट के रूप में किया जाता है। इन दोनों किस्मों के उत्पाद के संयंत्र और मशीनें, कच्चा माल और उत्पादन की प्रक्रिया एक समान होती है। इन दोनों के बीच अंतर केवल उनकी परिशुद्धता के स्तर का होता है। मानवीय खपत के लिए परिशुद्धता का स्तर 99.98% होता है। तथापि, सीजीएमपी अनुमोदित फार्मा ग्रेड को विचाराधीन उत्पाद के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा गया है, क्योंकि न तो उसे घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित किया जाता है और न ही संबद्ध देश से इसका आयात होता है।

112. इस तर्क के संबंध में कि पैक किए गए और बल्क आर-134ए के लिए शुल्क की पृथक दरें निर्धारित की जाएं क्योंकि उनके लिए पृथक पाटन और क्षति मार्जिन का पूर्वाकलन किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए पैक किए गए और बल्क के लिए पाटन और क्षति मार्जिन का पृथक रूप से निर्धारण किया गया है और उसके बाद ही आवश्यक सिफारिशें करने के लिए उनकी भारित औसत निकाली गई है। नियमावली के अनुसार समग्र विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन और परिणामी पाटन-रोधी उपायों का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है।

113. इस तर्क के संबंध में कि प्रकटन विवरण में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली का प्रकटन नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस परिणाम के संबद्ध भागों में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य-प्रणाली को सुस्पष्ट कर दिया गया है।

114. इस तर्क के संबंध में कि पाटन-रोधी उपाय लागू करने से विचाराधीन उत्पाद की लागत में वृद्धि होगी और इसलिए संबंधित उत्पाद के भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए पाटन-रोधी उपाय लागू करना हानिकारक होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी उपाय करने का उद्देश्य पाटन के क्षति पहुंचाने वाले प्रभाव को

निष्प्रभावी करना और पाटन की तुलना में घरेलू उद्योग को व्यापार करने के समानांतर कार्य-क्षेत्र का सृजन करना होता है। इसके अतिरिक्त पाटन-रोधी उपाय आयातों पर कोई रोकथाम नहीं लगाते हैं।

115. इस तर्क के संबंध में कि उत्पादकों और उनकी व्यापारिक कंपनियों ने प्राधिकारी को पूर्ण सहयोग दिया है, उनके उत्तरों को खारिज करना यथोचित नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मुद्दे की अच्छी तरह से जांच की गई है और इस परिणाम के संबद्ध भाग में इसकी स्थिति को सुस्पष्ट कर दिया गया है। निर्यातकों से सहयोग प्राप्त नहीं होने के कारण पाटन मार्जिन का सार्थक रूप से निर्धारण करने में प्राधिकारी का कार्य-क्षेत्र सीमित हो जाता है। कारोबार में लगे हुए उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा संपूर्ण सूचना प्रस्तुत किए बिना प्राधिकारी के लिए विशेष पृथक मार्जिन का निर्धारण करना न तो व्यवहारिक होता है और न ही वांछनीय होता है।

116. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को प्रत्येक जांच में संभावित निर्धारण करना चाहिए, प्राधिकारी इस तथ्य को दोहराते हैं कि वर्तमान जांच के समय चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन हो रहा है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, जिससे वास्तव में यह पता चलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के निरंतर पाटन होने और उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। निरंतर पाटन होने और उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने को ध्यान में रखते हुए संभावित पाटन और क्षति को सिद्ध करने के लिए संभावित विश्लेषण करना अप्रासंगिक हो जाता है। तथापि, प्राधिकारी ने इस परिणाम के संबद्ध भागों में ऐसा संभावित विश्लेषण किया है।

117. इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान जांच में प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए जिन आंकड़ों पर विश्वास किया है, वे हितबद्ध पक्षकारों को भी प्रदत्त किए जाने चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त किए गए आंकड़े सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध कराए गए हैं।

118. इस तर्क के संबंध में कि प्रकटन विवरण में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली और कच्चे माल के स्रोत का प्रकटन नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस परिणाम के संबद्ध भागों में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली के बारे में सुस्पष्ट कर दिया गया है। इसके बावजूद तत्संबंधी स्थिति को दोहराते हुए यह बताया जाता है कि चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए कच्चे माल के बेहतर अनुकूलतम मानक और उपयोग्यताओं की अनुकूलतम लागत, परिवर्तन लागत, एसजी व्यय और घरेलू उद्योग की व्याज लागत को ध्यान में रख कर उत्तम उपलब्ध सूचना का इस्तेमाल करते हुए डीजीएडी की सुसंगत पद्धति के अनुसार नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में उल्लिखित द्वितीयक परन्तुक के अनुसार संरचित सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

119. इस तर्क के संबंध में कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को प्रतिलाभ की 22% दर गलत तरीके से स्वीकृत की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसा डीजीएडी की सुसंगत पद्धति के अनुसार किया गया है।

120. इस तर्क के संबंध में कि अंतिम समीक्षा में प्राधिकारी की शक्ति, शुल्क को निरंतर लागू रखने अथवा उसको समाप्त करने तक सीमित है और न कि उसका संवर्धन करने के लिए है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

द. निष्कर्ष

121. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए तथा इस निर्णय में दर्ज किए गए प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों तथा पाटन के निरंतर बने रहने और उसकी परिणामी क्षति होने तथा पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने/पुनरावृत्ति/गहन होने की संभावना की स्थिति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

- (1) चीन जनवादी गणराज्य से संबंधित उत्पाद का पूर्णरूपेण तथा भारत में उत्पादन/खपत के प्रसंग में दोनों रूप में निरंतर पाटन हो रहा है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

- (2) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती हो रही है। इसके अतिरिक्त, आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं।
- (3) लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में गिरावट आई है। चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हो रही है।
- (4) यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद का निरंतर पाटन होने की संभावना है।

घ. सिफारिशें

122. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में पाटन-रोधी उपायों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि नीचे शुल्क तालिका में विनिश्चित किया गया है। इसलिए, प्राधिकारी नीचे शुल्क तालिका में निर्धारित स्वरूप और तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश करना जरूरी समझते हैं।

123. प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी, इस जांच परिणाम में इस प्रकार से निर्धारित पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कम मार्जिन के बराबर निश्चयात्मक पाटन-रोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बद्ध देशों/क्षेत्रों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समस्त आयातों पर नीचे तालिका के कॉलम 8 में निर्दिष्ट राशि के बराबर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना के द्वारा इस कर को लगाए जाने की तारीख से 5 वर्षों के अवधि के लिए होगा।

शुल्क तालिका

क्रमांक	टैरिफ मद का उप-शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	माप का यूनिट	मुद्रा
1	29033919	1,1,1,2-टेट्राफ्लोरेथा अथवा आर-134ए *	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	1.22	किग्रा	यूएस \$
2	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से इतर कोई अन्य देश	कोई	कोई	1.22	किग्रा	यूएस \$
3	-वही-	-वही-	चीन जनवादी गणराज्य से इतर कोई अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	1.22	किग्रा	यूएस \$

*टिप्पणी : सीजीएमपी अधिप्रमाणित आर-134ए को विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया है।

न. आगे की प्रक्रिया

124. केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आदेश को स्वीकृत करने के पश्चात, इस आदेश के खिलाफ कोई भी अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष दायर की जा सकेगी।

ए. के. भल्ला , निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**New Delhi, the 30th May, 2016**FINAL FINDINGS**

Subject: Sunset review (SSR) investigation of the anti-dumping duties imposed on the imports of ‘1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a’, originating in or exported from China PR.

No. 15/23/2014-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the case

2. Whereas, the original anti-dumping investigation concerning imports of “1,1,1,2-Tetrafluoroethane” also known as “R-134a” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR and Japan, was initiated by the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) vide Notification No. 14/24/2009- DGAD dated 19th August, 2009, on the basis of an application filed by M/s SRF Ltd.

3. Whereas, in the original investigation, the preliminary finding was issued by the Authority recommending imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Japan, vide Notification No.14/24/2009- DGAD dated 19th February, 2010. Accordingly, the provisional anti-dumping duties were imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Japan, vide Notification No.52/2010-Customs dated 19th April, 2010.

4. Whereas, the final finding of the original investigation was issued by the Authority, recommending imposition of definitive anti-dumping duties, on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Japan, vide Notification No. 14/24/2009-DGAD dated 10th May 2011. Accordingly, definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government, on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR and Japan, vide Notification No.61/2011-Customs dated 15th July, 2011.

5. Whereas, M/s. SRF Ltd., the domestic industry in the original investigation and the sole producer of the subject goods in India (hereinafter also referred to as the petitioner) has filed a duly substantiated application, in accordance with the Act and the Rules, alleging dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of revocation of the anti-dumping duty. The applicant has filed the application for sunset review in respect of the anti-dumping duty imposed against China PR only, stating that there is neither dumping nor likelihood of dumping of the subject goods from Japan. The applicant has requested for continuation and enhancement of the anti-dumping duty, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) only.

B. Procedure

6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

- i. The Authority sent copy of the initiation notification dated 10th April, 2015 to the embassy of the subject country in India, known exporters from the subject country, known importers and other interested parties, as per available information. The known interested parties were requested to file questionnaire response and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassy of the subject country along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time.

- ii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicant was made available to the known exporters and the embassy of the subject country in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- iii. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review to the following known producers/exporters in the subject country and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules:
 - a) Zhejiang Juhua Group I/E Co., Ltd.
 - b) Shandong Dongyue Chemical Ltd.
 - c) Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co.,Ltd
 - d) Jiangsu Kangtai Fluorine Chemical Co.,Ltd.
 - e) Changshu 3F Zhonghao New Chemical Materials Co., Ltd.
 - f) Zhejiang Fotech International Co., Ltd.
 - g) Du Pont China Holding Co Ltd
 - h) Zhejiang Pujiang Bailian Chemical Co. Ltd.
 - i) Mitsui DuPont Fluorochemicals Co Ltd
 - j) Jiangsu Bluestar Environmental Protection Technology Co Ltd
 - k) Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co.,Ltd
 - l) Jiangsu JIN XUE Group Co., Ltd
 - m) Jinhua Yonghe Fluorochemical Co., Ltd,
 - n) Zhejiang Sanmei Chemical Ind.Co.,Ltd
- iv. In response to the initiation of the subject investigation, following producers/exporters from China PR have filed questionnaire response:
 - a) Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co.,Ltd
 - b) Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co.,Ltd
 - c) Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. ("Sanmei")
 - d) Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd. ("Juxin")
 - e) Zhejiang Juhua Co., Ltd Organic Fluor-chemistry Plant
 - f) Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd.
 - g) Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co., Ltd.
 - h) Chemours Chemical (Shanghai) Co Ltd (formerly Du Pont Trading (Shanghai) Co Ltd.
- v. Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. While for the purpose of initiation, the normal value in China PR was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were, therefore, requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers in China PR. However, none of the respondent producers/exporters from China PR filed MET questionnaire response rebutting the non-market economy presumption.
- vi. Questionnaires were sent to the following known importers/users/associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules:

- a) E.I. Dupont India Private Ltd.
 - b) Navine Fluorine International Ltd
 - c) Stallion Enterprises
 - d) Value Refrigerants Private Ltd.
 - e) Mangali Petrochem Ltd.
 - f) KPL International Limited
 - g) Reflex Refrigerants
 - h) KIRO Refrigerants Pvt Ltd.
 - i) Honeywell International (I) Pvt. Ltd.
 - j) O. B. Fluoro Chems Pvt. Ltd.
 - k) Brenntag India Pvt.Ltd.
 - l) Cipla Ltd.
- vii. In response to the above notification, importers questionnaire response has been filed only by M/s Navine Flourine International Ltd., along with injury submissions.
 - viii. Injury submissions have also been made by China Chamber of Commerce of Metals Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), respondent Chinese producers/exporters, importers/users in India and the domestic industry.
 - ix. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority in the prescribed format, nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
 - x. At the application stage, of the domestic industry provided information with regard to imports based on Eximkey data (secondary source). Subsequently, the domestic industry also obtained the transaction wise imports data from the DGCI&S and furnished it to the Authority for placement in the public file. Accordingly, the same was also made available in the public file. The Authority also made request to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S imports data for computation of the volume & value of imports and injury analysis in the present finding.
 - xi. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Anti-dumping Rules.
 - xii. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st October 2013 to 30th September 2014. However, the injury analysis has been done for the period 2011-12, 2012-13, 2013-14 and Period of Investigation.
 - xiii. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 6th November, 2015. The parties who presented their views in oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
 - xiv. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been considered by the Authority in this finding.
 - xv. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry and the cooperative producers/exporters.

- xvi. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xvii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- xviii. In accordance with Rule 16 of Rules Supra, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 18th May, 2016 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in this final finding.
- xix. *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. The average exchange rate of 1US\$ = Rs 61.65 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this finding.
- xxi. The Department of Revenue vide their OM No. 354/24/2010-TRU (Pt.1) dated 5th April, 2016 extended the time limit for completing this investigation up to 9th June, 2016.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

Submissions made by the Domestic Industry

7. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration (PUC):
- i. Present investigation being a review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation.
 - ii. The product under consideration is '1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a' of all types.
 - iii. R-134a, is also known as tetrafluoroethane, Genetron 134a, Suva 134a or HFC-134a. It is a haloalkane refrigerant with thermodynamic properties similar to R-12 (dichlorodifluoromethane), but without its ozone depletion potential.
 - iv. R-134a is used as "high-temperature" refrigerant for domestic refrigeration and automobile air conditioners. Other uses include plastic foam blowing, as a cleaning solvent and as a propellant for the delivery of pharmaceuticals (e.g. bronchodilators), gas dusters, and in air driers, for removing the moisture from compressed air. It has also been used to cool computers in some over clocking attempts. It is also commonly used as a propellant for air soft air guns.
 - v. There are broadly two kinds of the product under consideration - industrial and pharma. However, in pharma segments, there are now two variants of the product under consideration - (a) cGMP approved plant product and (b) normal product not produced in a cGMP approved plant. Normal product not produced in a cGMP approved plant has been described as "propellant" grade by the petitioner in a bid to distinguish and differentiate with cGMP approved pharma grade product. It is, however, clarified that this terminology is not an approved/internationally recognized terminology.
 - vi. There are only two grades of the product under consideration being imported from China and both are being produced by the domestic industry. These are product under consideration for industrial use and also medical use for non-regulated markets. The grades being produced by the domestic industry and being imported from China are comparable and can be interchangeably used. However, there is another grade, a variant of medical use R134a for regulated markets, which is produced only in USA and Europe. This is USFDA approved R134a for pharma application. This grade is being described as "pharma grade", while the grade being produced and supplied by the domestic industry is being described as "propellant grade". Since this propellant grade has higher

- level of impurities than the "pharma grade", this propellant grade cannot substitute the "pharma grade" being imported from USA.
- vii. Petitioner and Chinese producers are unable to produce the 'pharma grade' (i.e., cGMP approved plant product) for the reason that the Petitioner and Chinese producers lack manufacturing facilities required for the purpose. Such manufacturing facilities are described as "cGMP" in the market parlance. Resultantly, Petitioner and Chinese producers are unable to get USFDA certification that these products pass the requirements of Pharma grade R134a. Since Petitioner and Chinese producers are unable to meet these specifications, Petitioner is constrained to meet this requirement of Indian market through imports.
 - viii. Compliance with the requirements of cGMP implies different production technology, manufacturing process, raw materials, plant & equipment, additional investment of the order of Rs. 25 crores. The resultant product has different product specifications (lower level of impurities) than the other R134a produced & supplied by the domestic industry.
 - ix. Identification of the product type in the import data is not difficult for the reason that the companies sell different grades in different brand names and these brand names are specified in the import data. Since USFDA approved product produced in cGMP compliant plant has significantly higher costs and prices, this product cannot substitute the normal R134a. Even though it is technically substitutable, it is not commercially substitutable.
 - x. No special Govt. permission is required for producing various grades. All permissions are usual regulations in the Country. However, the buyers of Pharma grade product shall buy the product only if the plant is cGMP compliant.
 - xi. Since the present investigation is for sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as that of the original investigation. Further, the issue of 'Like Article' has been well examined and determined by the Designated Authority at the time of original investigations. No significant development has taken place in this regard.
 - xii. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and exported from the subject country. Subject goods produced by the petitioner and imported from the subject country are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
 - xiii. The DI does not have facilities for production of medical grade 134a compliant to cGMP. In fact, petitioner itself is buying this product from the market which clearly establishes absence of any investment in the present plant.
 - xiv. The PUC in the present case does not exclude any type of R-134a. Without prejudice, if cGMP approved pharma grade is excluded from the imports, the same does not vitiate the present case in any manner, given that this grade has been imported only from USA.

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

8. With regard to the product under consideration, following submissions have been made by the other interested parties:

- i. Definition of the product under consideration clearly shows that R-34a is used for making R-134a Pharma Grade. Both R 134a technical grade and Pharma grade are different grades and categories. Production of Pharma grade requires further process after R 134a is produced.
- ii. Pharma Grade of PUC is not manufactured by Domestic industry and the same should be excluded from scope of PUC. There should be grade wise examination of injury analysis of various grades of PUC.
- iii. DYMEL / SOLKANE are medical grades, which should be excluded from the scope of product concerned.

- iv. There has been import in large quantity of Dangerous Gas R-22 during the said POI under the pretext of the subject product R-134a. Nearly 80 tonnes of the said gas R-22 was seized by the Revenue intelligence during the POI. The import statistics provided by the petitioner is unreliable and over stated in this respect and should not be considered.
- v. SRF did not have facilities to manufacture Pharma Grade R-134a. They have acquired technology to manufacture Pharma grade R-134a only in 2015. During the period of review, SRF was not manufacturing Pharma Grade R-134a. SRF has been misleading the Authority since the original investigations by making false statements that they have manufactured and supplied both the grades of R-134a.

Examination by the Authority

9. In the original investigation, the PUC was defined as follows:

51. *The product under consideration in the present investigation is 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a of all types. R-134a, is also called as Tetrafluoroethane, Genetron 134a, Suva 134a or HFC-134a, HFA-134a, and Norflurane. It is a haloalkane refrigerant with thermodynamic properties similar to R-12 (dichlorodifluoromethane), but without its ozone depletion potential. It has the chemical formula CH₂FCF₃, and a boiling point of -26.3 °C (-15.34 °F). It is an inert gas used primarily as a high temperature refrigerant for domestic refrigeration and automobile air-conditioners. Other uses of the subject goods include plastic foam blowing, as a cleaning solvent and as a propellant for the delivery of pharmaceuticals (e.g. bronchodilators), gas dusters, and in air driers, for removing the moisture from compressed air.*

52. *The subject goods are being imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under subheading 2903 under "Halogenated Derivatives of Hydrocarbons", under subheading 29033919 as "Other Fluorinated Derivatives", under the Indian Trade Classification (based on Harmonized Commodity Description and Coding System). The petitioner has, however claimed that the product under consideration does not have any dedicated customs classification code and are being imported under various other Customs sub-headings. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.*

10. The scope of the product under consideration in the present sunset review investigation remains the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified in the original investigation. The product under consideration (PUC) in the present SSR application, as in the original investigation, is "1,1,1,2- Tetrafluoroethane" also known as "R-134a".

11. The subject goods are being imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under subheading 2903 under "Halogenated Derivatives of Hydrocarbons", under subheading 29033919 as "Other Fluorinated Derivatives", under the Indian Trade Classification (based on Harmonized Commodity Description and Coding System). The product under consideration, however, does not have any dedicated customs classification code and are being imported under various other Customs sub-headings. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

12. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

13. The petitioner has claimed that there is no known difference in R-134a produced by them and exported from subject country. R-134a produced by the petitioner and imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods.

14. With regard to different types/grades of the subject goods, the Authority notes that in terms of end use, broadly there are two types of the subject goods i.e. industrial and pharmaceutical grade. The industrial grade is used in refrigeration and air-conditioning etc, whereas the pharmaceutical grade is used as a drug propellant mainly for human consumption. The plant and machinery, raw material and the process of production of both the types are same. The differences between the two is only the level of purity, the purity required for the pharmaceutical grade meant for human consumption is minimum 99.98%. The subject goods meant for human consumption can be used for industrial purpose, the purity level being higher, the industrial

type cannot be used for human consumption. However, the cGMP approved pharma grade is excluded from the purview of the PUC, since the same is neither produced by the domestic industry nor imported from the subject country.

15. Product under consideration produced by the domestic industry and those imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the above, the Authority holds that subject goods produced by the Domestic Industry are, therefore, being treated as like article to the subject goods imported from the subject country, in accordance with the Anti-Dumping Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

16. None of the interested parties have made any submissions with regard to the scope and standing of the Domestic Industry.

Submissions made by the Domestic Industry

17. The domestic industry has made following submissions in this regard:

- i. SRF Ltd., the petitioner, is the sole producer of R134a in the country and accounts for 100% of the Indian production.
- ii. The petitioner has not imported the subject goods from subject countries during the period of investigation. Further, Petitioner is not related to any exporter or producer of the subject goods in subject countries or an importer or user of the product under consideration in India.
- iii. Without prejudice to the legal position that the present investigations being sunset review investigations, the Authority is not required to ascertain standing of the petitioner to file the present petition, the petition satisfies the requirement of standing under the Rules and petitioner constitutes the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules.

Examination by the Authority

18. Rule 2(b) defines domestic industry as under:-

"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

19. The Authority notes that M/s SRF Ltd, the petitioner in the original as well as present investigation, constitutes 100% of Indian production. It constitutes the domestic industry within the meaning of the Rule 2(b) and satisfies the requirement of standing under the Rules 5 of the Rules.

E. Confidentiality

Submissions made by the Domestic Industry

20. The following are the submissions concerning confidentiality made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:

- i. Costing information is incapable of being summarized and as per Rule 7, it is not necessary for summarization.
- ii. Petitioner has furnished the non-confidential information to the extent relevant. The Rules do not envisage any specific form in which the petitioner should furnish the data.

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

21. The following are the submissions concerning confidentiality made by the producers/exporters/importers/other interested parties and considered relevant by the Authority:

- i. The petition suffers from excessive confidentiality.
- ii. Petitioner has neither provided the transaction-wise import data in soft copy, nor provided any meaningful summary of information provided by it on confidential basis.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

22. As regards the submissions concerning confidentiality the Authority notes that Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

F. MISCELLANEOUS ISSUES**Submissions made by the Domestic Industry**

24. The following are the miscellaneous submissions made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:

- i. The anti-dumping duty was imposed in the instant case vide notification dated 15 July 2011 and therefore shall be in force till 14 July 2016. It is, therefore, without any basis that the anti-dumping duty has expired on 18th April 2015. The interim anti-dumping duty imposed on the imports of the product under consideration was set aside by the Chennai High Court and the same was not stayed by the Supreme Court. Therefore, there was no interim anti-dumping duty applicable in this product by virtue of provisional duty recommended and five years period is required to be counted from the date of imposition of definitive duty which shall be 14 July 2016.
- ii. The power of the DA to review the form and quantum of duty is well settled. The DA has been consistently considering that in case import volumes in the current period are significant, the quantum of anti dumping duty shall be modified based on dumping margin and injury margin in the present period. The only exception in India is when the dumping and/or injury margin is negative, but the duty is extended on the grounds of likelihood.
- iii. There is no requirement under the law that DI should explain in the petition as to how it refined the import statistics from the raw import statistics procured by it. The only requirement under the rules is quantification of volume and value of imports and providing source of the information. The

petitioner has provided transaction wise import data which adequately and elaborately establishes what is the import adopted by the petitioner.

- iv. The investigation was initiated based solely on "duly substantiated" petition by the domestic industry. The petition contains all relevant information in this regard. The petitioner has provided evidence to the extent available. Petition clearly establishes existence of continued dumping and injury to the DI.
- v. The interested parties need not adjudicate whether DI has received protection for adequate period. It is settled legal position that anti dumping duty shall apply as long as necessary and so long as dumping and consequent injury to the domestic industry is likely.
- vi. Possible future ban on the product does not imply license to dump the product in Indian market. In fact, the domestic industry clearly considers that the product is going to remain in Indian market sufficiently beyond the period for which present measure is being considered. Above all, if the product is likely to be banned, how does the present duty prejudice the exporters?

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

25. The following are the miscellaneous submissions made by the exporters, importers and other interested parties and considered relevant by the Authority:

- i. Sunset review is initiated at the request of domestic industry; the request needs to be a "duly substantiated" request. The request made by DI in the present investigation cannot be termed as a "duly substantiated" request, since the petition does not contain any evidence with respect to the Normal Value and the Export price.
- ii. The DI has failed to provide sufficient evidence to justify the initiation of the investigation. It has neither been able to substantiate existence of continued dumping, nor has it substantiated the likelihood of recurrence of dumping & injury in future, if anti-dumping duties are revoked.
- iii. The original anti-dumping duty has expired on 18th April 2015 and Ministry of Finance had not issued any customs notification for extending the anti-dumping duty even after the duty ceased to exist. The Ministry of Finance ought to have extended the duty on the subject product before the expiry of the parent Notification. The sunset review investigations are carried out only for the duty which is in force and not for the duty which ceased to exist due to efflux of time. So the present investigation must be terminated.
- iv. The power of the DA in the sunset review is restricted only to withdrawal of duty and not for its enhancement. So the duty rate cannot be increased in review.
- v. The import statistics submitted by the DI is faulty as it has included the medical grade and classified the same as the product concerned.
- vi. There has been import in large quantity of Dangerous Gas R-22 during the said POI under the pretext of the subject product R-134a. Nearly 80 tones of the said gas R-22 was seized by the Revenue intelligence during the said POI. Therefore the import statistics provided by the petitioner should not be considered.
- vii. There is no explanation in the petition as to how the Domestic Industry refined the import statistics from the raw import statistics procured by it. It also fails to disclose how the subject product is segregated from non-subject product and what all product types have been included in the import statistics relied upon. Unless such information is made available, correctness of the information provided with respect to allegation of injury cannot be analyzed properly.
- viii. There is a shift in consumption pattern due to environmental concerns. The subject product is on the path of being outdated. The developed countries like EU & US are banning the use of subject product, due to its ozone depletion characteristics. The subject product has undergone technology development and new improved version i.e HFO-1234yf which is a more environmentally friendly alternative to R-134a has come in to the market.
- ix. The original existing duty was levied in the form of fixed duty. Fixed duty is only related to the quantity of products and cannot reflect the change of materials price. So the anti-dumping duty, if

any proposed to be imposed in the present sunset review investigation, be levied in the form of reference price.

- x. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd., a respondent exporter, has exported some PUC prior to POI, but not during the POI. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd. requests the authority to confirm the eligibility to apply for individual dumping margins in terms of Rule 22.

Examination by the Authority

26. As regards the submission that there is absence of 'sufficient evidence' in the application filed to justify initiation of this investigation, it is noted that there was sufficient prima facie justification to initiate the investigation. The present investigation was initiated only upon receipt of a written application, which was in the form and manner as specified by the Authority and was supported by relevant and necessary evidence relating to dumping, injury and causal link. The investigation was initiated after determining that the application was made by or on behalf of the domestic industry and after sufficient examination with regard to accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and due satisfaction of the Authority that there was sufficient prima facie evidence regarding dumping, injury and causal link to justify the initiation of investigation.

27. It is true that the global demand for the new improved and technologically advanced version HFO-1234yf is increasing. But, it does not mean that R134a is going to be replaced in the market overnight. The demand for R134a is still commanding very high, especially in the Indian market.

28. The definitive anti-dumping duty was imposed in the instant case vide notification dated 15 July 2011 for five years from the date of notification and is in force till 14 July 2016. It is, therefore, without any basis that the anti-dumping duty has expired on 18th April 2015. The interim anti-dumping duty imposed on the imports of the product under consideration was set aside by the Chennai High Court and the same was not stayed by the Supreme Court.

29. As regards the contention that the power of the DA in the sunset review is restricted only to withdrawal of duty and not for its enhancement, the Authority notes that the power of the designated authority to review the form and quantum of duty in an anti-dumping investigation is well settled. In a sunset review investigation, the designated authority can recommend by modifying the form and quantum of the anti-dumping duty, subject to the lesser duty rule adopted by India.

30. As regards contention that the form of duty, if any, should be on reference price basis, the Authority notes that the form of duty is governed by facts of a case.

31. As regards the contention that the import statistics submitted by the DI is faulty as it has included the medical grade and classified the same as the product concerned, the Authority notes that the imports data obtained from the DGCI&S has relied upon in this investigation after identifying the relevant transactions.

32. As regards the claim of Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co. Ltd., China PR for individual margins despite nil export during POI, the Authority notes that nil export during POI does not entitle Zhejiang Sanmei for individual margins in the present investigation.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Submissions made by the domestic industry

33. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. China is a non-market economy and should be treated so by the Authority in the present investigation. No country has granted market economy country status to China after following elaborate evaluation parameters. The factual matrix remains the same since the original and review investigations. Chinese companies should be considered as not entitled for market economy treatment.
- ii. Designated Authority should follow Para 7 of AD Rules for determining Normal Value for China PR. Goods are also being exported from USA in the Indian market. The import price of the product under consideration from USA can be considered as a representative price and can be considered as the price from a third country to India and normal value determined on that basis.

- iii. Normal value for China PR cannot be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available.
- iv. The dumping margin from China is not only significant, but also substantial in both packed and unpacked form of imports, thus establishing existence of significant dumping of the product under consideration in India. The import volume of China has remained significant throughout the present injury period, despite anti dumping duty in force.

Submissions made by exporters, importers and other interested parties

34. The submissions made by the exporters, importers and other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The Domestic Industry has submitted that it has determined the Normal Value in China PR on the basis of (a) *Import Price from USA into India*, (b) *selling price in India*, and (c) *Cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profits*. The petition does not contain any evidence with respect to the Normal Value and the Export price. Therefore, the DI has failed to discharge its obligation with regard to determination of normal value and export price.
- ii. The calculations of normal value and export price provided by the domestic industry are wrong and arbitrary. The petitioner has not provided evidences regarding the adjustments to the export prices as claimed by the domestic industry.
- iii. The accuracy of information submitted by the domestic industry should be examined. The normal value constructed by the domestic industry is incorrect as Annexure 3.2 of the petition considers Russia as appropriate surrogate country. However, the petitioner has claimed normal value on the basis of import price of USA in India.
- iv. For determination of normal value for China PR, the normal value cannot be constructed on the basis of costs incurred by domestic industry unless there are sufficient evidences that India is an appropriate surrogate country in present case. The Authority may base normal value on the data submitted by the co-operating exporters.

Examination of the Authority

H. Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

35. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO Members. Therefore, in terms of Para 8 (2) of the annexure 1 of AD rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the above presumption by the exporting country or individual Producers/Exporters in terms of the above Rules.

36. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:

- a. the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
- b. the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
- c. such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
- d. the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

37. Paragraph-7 of the Annexure-1 to the Anti-dumping Rules provides as follows:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments”.

38. According to these Rules, the normal value in China can be determined on any of the following basis:

- a) On the basis of the price in a market economy third country, or
- b) The constructed value in a market economy third country, or
- c) The price from such a third country to other countries, including India.
- d) If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.

39. The domestic industry has claimed that normal value in China can be determined on the basis of the import price of the product under consideration from USA. The domestic industry has argued that the same price can be considered as a representative price and can be considered as the price from a third country to India and normal value determined on that basis.

40. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority, none of the producers or exporters from China PR has filed response claiming market economy treatment. The Authority further notes that adoption of the import price of the product under consideration from USA for determination of normal value in respect of China, as requested by the domestic industry, cannot be accepted for the reason that USA and China are not in the similar level of development. Moreover, for determination of normal value based on third country cost and prices, the complete and exhaustive data on domestic sales or third country export sales, as well as cost of production and cooperation of such producers in third country is required, which is not available with the Authority in the present investigation. Also, no such verifiable information with regard to prices and costs prevalent in other such market economy third countries have been provided either by the domestic industry or by the responding exporters, nor any publicly available information could be accessed, nor the responding Chinese companies have made any claim with regard to an appropriate market economy third country.

41. Under the circumstances, the Authority is not in a position to apply Para 8 of Annexure 1 to the Rules and therefore proceeds to construct the normal value based on any other reasonable basis in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. Accordingly, in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules, the Authority has constructed the Normal value for the Chinese producers on the basis of domestic prices of the major raw materials as the same were found to be less than the international prices of the major raw materials as available in the World Trade Atlas data and efficient consumption norms and conversion cost of the domestic industry, after including selling, general & administrative costs and reasonable profit margin.

42. For the purpose of conducting a fair comparison and in view of significant difference in the cost of production of packed and unpacked form of the product under consideration, separate normal value has been calculated for packed and unpacked form of the subject goods produced and sold. However, the dumping margins so arrived for packed and unpacked form have been weighted averaged for the ‘product under consideration’ as a whole thereafter by considering associated export volumes. Accordingly, the Authority has determined the weighted average normal value as mentioned in the dumping margin table given below.

I. Export Price

43. Pursuant to initiation of the present investigation, following producers/exporters from China PR have filed questionnaire response:

- i. Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. ("Sanmei")
- ii. Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd
- iii. Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co., Ltd
- iv. Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd. ("Juxin")
- v. Zhejiang Juhua Co., Ltd Organic Fluor-chemistry Plant
- vi. Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd.
- vii. Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co., Ltd.
- viii. Chemours Chemical (Shanghai) Co Ltd (formerly Du Pont Trading (Shanghai) Co Ltd.

Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. ("Sanmei")

44. As per the exporter's questionnaire (EQ) response, Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd., China PR is a producer of subject goods. Based on the information furnished in the EQ response, the Authority notes that Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. did not export subject goods to India during the POI.

Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd.

45. As per the exporter's questionnaire (EQ) response, Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd., China PR is a producer/exporter of the subject goods, belonging to Sinochem Group. Based on the information furnished in the EQ response, the Authority notes that Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd., did not export the subject goods to India during the POI.

Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd.

46. As per the exporter's questionnaire (EQ) response, Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd, China PR, is a producer/exporter of the subject goods, 100% owned by Sinochem Modern Environmental Protection Chemicals (Xi'an) Co., Ltd., which belongs to the Sinochem Group of China. During the POI, Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd directly exported a total quantity of *** MT of subject goods to India for a total value of US\$ ***.

47. Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd, China PR was subjected to on the spot verification by the Authority. During verification, it was noted that another related entity of Sinochem Group, namely Sinochem Ningbo, also exported *** MT of PUC to India during the POI, but not filed EQ response. On being questioned, it was clarified by Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd, China PR that Sinochem Ningbo is not a producer of the subject goods and has exported the goods by procuring from other Chinese producers who do not fall within the Sinochem Group. Further, the SAP sales data shown by the Company did not exhibit any such transaction of PUC by Sinochem Taikang with Sinochem Ningbo.

48. However, the Authority notes that Sinochem Ningbo belongs to the Sinochem Group. As per the web based information, it is a producer of Chemicals, although it is not clear whether it produces the subject goods. Despite exporting sizable volume of the subject goods to India during the POI, neither had it filed the exporter's questionnaire response, nor the related respondent companies declared this information upfront in their responses.

49. Post disclosure, it has been informed by Sinochem Taichang that by the time the present sunset review was initiated on 10th April, 2015, Sinochem Ningbo was no longer related to Sinochem Taichang and it had changed its name from Sinochem Ningbo to Ninhua Group. However, the Authority notes that the said claimed development is a post POI occurrence and therefore implies that prior to the initiation of this investigation, Sinochem Ningbo was related to Sinochem Taichang and was also involved in the export of subject goods to India during the POI. But, neither in the exporters questionnaire response, nor during on the spot verification, these facts were substantiated with documentary evidence. In view of the above position, the

Authority does not grant individual margins to Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co. Ltd, China PR.

Zhejiang Juhua Co., Ltd. (Juhua-Producer), Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd. (Juxin-Producer), Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co., Ltd., Zhejiang (Quhua -Exporter), Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd. (Lianzhou – Exporter) and Chemours Chemical (Shanghai) Co Ltd, formerly Du Pont Trading (Shanghai) Co Ltd.

50. Zhejiang Juhua Co., Ltd. (Juhua-Producer), Zhejiang Quzhou Juxin Fluorine Chemical Co., Ltd. (Juxin-Producer), Zhejiang Quhua Fluor-chemistry Co., Ltd., Zhejiang (Quhua -Exporter), Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd. (Lianzhou – Exporter) are related Chinese companies, which filed EQ responses in the present investigation, and are collectively known as “Juhua Group”. Juxin, Quhua and Lianzhou are wholly owned subsidiaries of Zhejiang Juhua Co., Ltd. While Juhua and Juxin are producers of subject goods, Quhua and Lianzhou are only exporters. The said companies were subjected to on the spot verification by the Authority.

51. As per the information available in the EQ responses, during the POI, Juhua and Juxin, the two related producers sold subject goods to Quhua and Lianzhou, the two related exporters and also to a few unaffiliated customers in China. While Quhua exported the subject goods in bulk form, Lianzhou packed the subject goods in various commercial sizes in its packing unit and exported. During POI, while Lianzhou sold the subject goods directly to customers in India, Quhua made its entire sales to Du Pont Trading (Shanghai) Co., Ltd., renamed as Chemours Chemical (Shanghai) Co Ltd, which then made sales to its Indian affiliated party. Chemours Chemical (Shanghai) Co Ltd did not cooperate for on the spot verification of their data/information.

52. During the POI, Juhua and Juxin sold ***MT of subject goods in the domestic market, out of which ***MT was sold to Lianzhou and ***MT was sold to Quhua, and the balance ***MT was sold to other unrelated customers. During the POI, Quhua exported only *** MT (only bulk variety) of subject goods to India having a gross invoice value of US \$ ***, entirely through Du Pont Trading (Shanghai) Co., Ltd. During the POI, Lianzhou exported ***MT of packed subject goods to India directly, after packing the bulk subject goods procured from its related producers (Juhua and Juxin), for a gross invoice value of US \$ ***.

53. The Authority notes that Du Pont Trading (Shanghai) Co., Ltd exported *** MT of subject goods, all in bulk variety, to India during the POI by procuring from Juhua Group. The Authority further notes that the said exports were made by Du Pont Trading (Shanghai) Co., Ltd to its related Indian party namely E I Dupont India Private Limited. In view of the facts that after filing EQ response, Du Pont Trading (Shanghai) Co., Ltd, renamed as Chemours Chemical (Shanghai) Co Ltd, did not cooperate for verification of their data by the authority. Moreover, the sales were entirely made to its related Indian company, whose sales prices in the Indian market are not known due to their non-cooperation as well.

54. Post disclosure, it has been argued by the respondent companies that even if Chemours has not cooperated, the authority could readily have calculated export price for the other channel of exports of Juhua Group which accounted for 67% of the total exports to India during the POI. In this regard, the Authority notes that without complete information being filed by the producers/exporters involved in the transactions and that too when substantial sales have been made to related buyers, it is neither feasible nor desirable for the Authority to determine individual margins, as lack of complete participation and cooperation of the exporters involved in the transactions limits the authority’s scope to determine dumping margin meaningfully. In view of the above reasons, the Authority does not consider the exports made by Juhua Group to India during the POI for determination of individual margins.

Export price for the Non-Co-operative producers-exporters from China PR.

55. The Authority has determined the Export Price in respect of non-cooperative exporters from China PR as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules. Accordingly, after making the due adjustments, the weighted average net export price at ex-factory level, in respect of all non-co-operative exporters from China PR, has been determined as mentioned in the table below.

J. DUMPING MARGIN

56. Considering the normal value and export price as determined above, the dumping margin for all exporters of the subject goods from the subject country is determined as below:

Particular	Unit	Packed	Unpacked	Weighted Average
Normal Value	US\$/Kg	***	***	***
Net Export Price	US\$/Kg	***	***	***
Dumping Margin	US\$/Kg	***	***	***
Dumping Margin	%	***	***	***
Dumping Margin	% Range	60-70	40-50	45-55

K. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions made by the domestic industry

57. Following are the submissions made by the domestic industry in this regard:

- i. The demand/apparent consumption of the subject goods has increased over the injury period including the POI. Imports from subject country have remained significant despite anti-dumping duty, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India.
- ii. The domestic industry enhanced capacity in POI. The enhancement in capacity was fully justified by the present and potential demand for the product in the Country and in the global market. The production of the domestic industry declined in 2012-13, and then increased in 2013-14 and the POI. However, the capacity utilization of the domestic industry declined consistently over the injury period.
- iii. Landed price of imports (after including basic customs duties) have been significantly below the selling prices of the domestic industry, thus resulting in significant price undercutting. Imports have had significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market. The effect of dumped imports on the domestic industry has been significantly adverse. Under the circumstances, should the present anti-dumping duty cease, the imports would further undercut the prices of the domestic industry, which would further depress the prices of the domestic industry to a significant degree.
- iv. The performance of the domestic industry improved after the imposition of anti dumping duty. However, profits of the domestic industry declined once again over the injury period as the cost increased and the domestic industry could not increase its selling price as they had to align their prices with the declining import prices. The domestic industry has not been able to earn reasonable profits due to continued dumping of the product under consideration in the Country.
- v. Growth of the domestic industry in terms of production and sales has shown a positive trend, however, capacity utilization has declined. Profits, cash profits and return on investment have shown declining trends. This negative growth in price parameters is clearly due to continued dumping of the product under consideration in the market at declining import prices of the subject country over the injury period.
- vi. Though the market share of the domestic industry declined in 2012-13, it was at the same level in the POI as was in the base year. This is the situation when anti-dumping duty is in existence. The situation is likely to worsen in the event of cessation of anti-dumping duty.
- vii. Even though performance of the domestic industry has improved in respect of production and sales volumes, the same is because of (i) anti-dumping duty imposed, (ii) price at which the domestic industry sold the product. Since the domestic industry has lowered the selling price aligning with the import price from China, they have been able to sell the volumes. Had the domestic industry fixed its prices considering reasonable return on investments, its sales volumes would have fallen flat. Performance of the domestic industry deteriorated in terms of profits, return on investments, cash flow. The various parameters relating to domestic industry collectively and cumulatively establish that the domestic industry has suffered material injury.

- viii. Even if cost of production, selling price and profit/loss of the domestic industry is determined by considering optimum capacity utilization, it would be seen that the data in any case shows significant decline in profitability. Even if performance of the domestic industry is adjusted for optimum capacity, it would be seen that the data nevertheless shall show that the domestic industry suffered injury.
- ix. While there has been some decline in prices of raw materials, the decline in import price is far more than decline in costs on account of raw materials. The decline in import price of the PUC is far higher than the decline in costs on account of TCE. Thus, the decline in the prices of R134a is not because of decline in cost.
- x. As regards the contention that the losses to the DI are because of excessive capacity, petitioner submits that even if calculations are done by considering optimum capacity utilization. (i.e. the highest capacity utilization achieved over the injury period), it would be seen that the data clearly establishes significant deterioration in profitability of the domestic industry even at optimum capacity utilization. Thus, the reason for decline in profitability is not excessive capacity. It is dumped imports. Further, the dumped imports are not only from China but also from USA.
- xi. The capacity of 12,500 MT was put up considering the projected demand and the technical aspects. The capacity of 12,500 MT comprises of two parallel reactors of equal capacities. As per the process requirements, the reactors are to be taken off for about two weeks, every 45 days, for regeneration of catalyst. So by planning catalyst regeneration in sequence, continuous production is ensured. The existing plant at Bhiwadi is proposed to be converted to HFC-32, as the existing capacities at Dahej are sufficient to take care of the demand. Since SRF does not have the manufacturing facility to produce cGMP grade HFC-134a, the Board of Directors in their meeting held on 6-Aug-2015 approved a proposal to put up these facilities at a cost of Rs.26 crores. The above information is available in the public domain.

Submissions made by the exporters, importers and Other Interested Parties

58. Following are the submissions made by exporters, importers and other interested parties:

- i. There should be grade wise examination of injury analysis of various grades of PUC.
- ii. The imports of subject product from China PR have decreased from 1600MT in 2011-12 to 1289 in POI. Whereas the import from USA has increased from 1622 MT in 2011-12 to 2897 MT in POI. Further, the share of imports from China PR has also decreased from 39.39% to 28.62 %, whereas the share of import from USA has increased from 39.91% to 64.31 %, which is almost double. The applicants have acknowledged the fact that imports from USA and not from China PR are causing serious injury to them.
- iii. During the POI, production of the petitioner is 4,454 MT and total imports into India is 4504 MT as per the petition filed by the domestic industry. Therefore, in case imports of subject product from all the sources are stopped and petitioner is allowed to satisfy the whole demand in India, even then the petitioner can achieve at max 51% capacity utilisation (capacity 17500 MT). Thus, there will be always substantial idle capacity with the Petitioner. Thus, any injury suffered by domestic industry is due to wrong management and incorrect assessment of demand.
- iv. The domestic industry has increased its capacity from 5000 MT in 2013-14 to 17,500 MT during POI. Increasing capacity by 250% times during POI has no economic sense in view of decreasing demand. The major reason for losses suffered by the petitioner is its excess capacity and imports from other countries other than China PR.
- v. The main reason for decline in profitability of the Petitioner is rampant increase in capacity which has led to substantial increase fixed cost and semi variable costs. Therefore, authority should exclude the excess fixed cost and semi variable costs from cost of sales.
- vi. The current capacity is almost double the domestic sales of product under consideration resulting into unutilised capacities. These unutilised capacities have escalated injury margins unreasonably. The same may be adjusted while determining NIP and Normal value.

- vii. The major user of the subject product is the automobile industry which is showing a declining trend. Therefore, enhancing capacity by 3 times by the petitioner reflects poor management decision.
- viii. If landed value of subject goods from China PR is lower than domestic selling price of the Petitioner, the sales of domestic industry would have shown a declining trend as imports are lower than selling price of domestic industry. However, the sales of domestic industry are more than the imports from China PR. If the imports from China are undercutting the prices of the domestic industry than the sales volume of the domestic industry should have decreased as there is no economic rationale in procuring the subject goods from the domestic industry. This leads to conclusion that there is no link between the prices offered by domestic industry and imports from China PR.
- ix. The cost of production has escalated due to unreasonable increase in number of employees, installed capacity, interest cost, other fixed and semi variable cost. If there has been no increase in capacity by the petitioner, the cost of production would have declined and there would have been no decline in profits or price suppression. These factors are the reasons of price injury suffered by the domestic industry.
- x. There is significant increase in import of PUC from other countries including USA. The market share of imports from non-subject country has increased from 35 percent to 41.22 per cent. The inventory of the domestic industry has doubled during POI, while the imports from China PR have declined. There is no correlation of imports from China PR and inventories during POI.
- xi. Claims of the DI that 12500 Mt capacity plant has been put up to match economy of scale is totally incorrect. Originally, DI had put up the first plant with a capacity of 3000 Mt. and later on it was expanded to 5000 Mt. So smaller capacity additions are possible. Now to rectify their mistake of putting wrong size plant they are converting the plant for production of R 32. They are also putting up Medical grade plant at Dahej.
- xii. The Chinese imports declined since 2013-14 and also the Chinese import price was reduced significantly. With decline in prices, imports from China should have increased. However, this trend is not evident so there is no correlation between volume of imports and import prices.
- xiii. The market share of Chinese imports declined due to the imposition of the duty and such reduced market share was occupied by other countries' imports, the market share of the DI remained unchanged.
- xiv. Costs of the two raw materials (TCE and AHF) account for about 65-70% of the total production cost of R-134a. The decrease of the export price to India during POI was due to the decrease of the price of raw materials in China. Landed value of imports from China PR has behaved in line with prices of raw materials which constitute almost 60-70% of the total cost of R 134a.
- xv. Costs claimed by the DI in the petition do not match with the trends of costs of the main raw materials. The domestic industry which was earlier importing TCE has started manufacturing actively. It is noted that the price of main raw materials in India has come down by 32.63%. Norm of TCE to R-134a is 1.4 to 1 which means that decline in raw material prices have impacted the cost of R 134a by $(70-52) \times 1.4 = \text{Rs. } 25.20$. This means variable cost has come down by Rs. 25.20/kg. On the contrary SRF has claimed that its cost has gone up by 7%. Designated Authority should also analyse the transfer price of TCE within the company as adopted by the Petitioner for determination of cost of sales.
- xvi. Demand in the country has risen by 800 Mt during last 4 years, whereas the Domestic Industry has increased its capacities by 12500 Mt. This has resulted into losses to the DI. Illogical increase in capacity has also resulted into increase in wages, depreciation and interest cost. Main aim for the expansion of capacity by 12,500 Mt has been put up to capture US market created due to imposition of Anti-dumping Duty on Chinese Imports.
- xvii. It has been claimed by the DI that it enhanced its capacities threefold to meet global demand. On the contrary during the POI export sales declined by 48%. The decision of SRF to expand its capacities was to capture export market; however R-134a is in the process of phasing out.

- xviii. When the imports were at its peak the DI was earning profit. With decline in imports the DI has started incurring losses. This clearly shows that imports are not causing injury to the Domestic Industry.
- xix. The non- injurious price determined by the designated authority is highly inflated and is not based on real situation. The DGAD has been adopting 22% ROCE to arrive at the Non-injurious Price. DGAD should adopt ROCE earned by the Industry when there was no allegation of dumping as reasonable profit margin and not 22% ROCE.
- xx. Price undercutting analysis does not show any correlation between imports and trend of sales price and volumes of domestic sales on Domestic Industry. Price suppressions and depression is claimed bases on inflated costs by the Domestic Industry.
- xxi. In 2011-12 sale of subject goods by domestic industry was in tune of 2977 and it increased to 3297 in POI. During POI and injury period, the market share of Chinese subject goods declined from 23 per cent to 17 per cent and the market share of domestic producer remained stable. During the injury period, the export sales of the domestic industry have declined by 48 per cent. Therefore any loss suffered by the domestic industry is attributed to other factors and not the Chinese Goods.
- xxii. Since inception of production of PUC, various injury parameters have reflected better results. Sales of domestic industry, capacity utilisation has displayed positive trend. Price suppression and depression alleged by the domestic industry is negative. Thus there is no causal link between injury of the domestic industry and import of subject goods from China PR.
- xxiii. The demand for R-134 has come down drastically in OEM segment of refrigerators as such manufacturers have already shifted to environment friendly R-600a.
- xxiv. In OEM segment of automobiles, the manufacturers are interested in buying R-134 from local manufacturers due to reliable and timely supply by domestic manufacturers and other technical reasons. The OEM segment of automobiles is also not interested in buying product of Chinese manufacturers.
- xxv. The after sales market of smaller companies is in field of servicing or maintenance of automobiles and refrigerators. Such companies buy subject goods through local distributors and channel partner wherein SRF is the leader with maximum market share.
- xxvi. There is separate demand of packed and bulk R-134. The consumers of bulk R-134A are OEM's and the packed R-134 is consumed by after sales market. There are different segments of consumers who buy DuPont or SRF or Chinese product on the basis of brand loyalty. There is no impact of anti-dumping or pricing on such consumers.
- xxvii. The domestic industry during the time of public hearing had requested for 26 % ROCE. The Authority has in various cases in past, considered 22 % as ROCE. Therefore, the Designated Authority should consider reasonable ROCE in the present investigation as well.

Examination By The Authority

59. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties. However, the specific submissions made by the interested parties, and considered relevant, are addressed by the Authority as below:

- i. As regards the submission concerning methodology of determination of NIP, the Authority notes that relevant guidelines in this regard are well laid down under Annexure III of Anti-dumping Rules. The authority has determined NIP for the domestic industry on the basis of provisions laid down under Annexure-III of the Anti-dumping Rules. Moreover, Authority has adopted 22% ROCE as a matter of consistent approach.
- ii. As regards the submission that there should be grade wise examination of injury analysis of various grades of PUC, the Authority notes that present investigation is a sunset review and the meaning and scope of the PUC remains the same as that in original investigation. Therefore, the methodology of injury analysis also remains the same as that in the original investigation.
- iii. As regards the contention that imports from USA and not from China PR are causing serious injury to the domestic industry, the Authority notes that the injury analysis done hereunder ipso facto

speaks about the injurious impact of the imports of subject goods from China PR. As regards imports of subject goods from USA, the Authority notes that the domestic industry has already filed an antidumping application against USA.

- iv. As regards the contention that substantial idle capacity with domestic industry is the main cause of their injury, the Authority notes that the domestic industry does have idle capacity, but that does not obviate the injurious effect of the dumped imports from China. While increasing demand motivated domestic industry to expand its capacity, continued dumping from China prevented the domestic industry to maximize its capacity utilisation.
- v. As regards the contention that fall in demand for the subject goods in the automobile industry are the cause of injury to the domestic industry, the authority notes that the argument is unsubstantiated. None of the available data shows injury to the domestic industry on account of fall in demand for the subject goods in the auto sector.
- iii. As regards the contention that there are different segments of consumers who buy DuPont or SRF or Chinese product on the basis of brand loyalty and therefore there is no impact of anti-dumping or pricing on such consumers, the Authority notes that the present finding is self explanatory in this regard. The present investigation is only a review investigation. In the original investigation, dumping, injury and causal link were well established and anti-dumping duties were imposed. The facts of the present sunset review investigation are not much different than the original investigation.
- iv. As regards the contention that Authority should do grade wise examination of injury analysis of various grades of PUC, the Authority notes that in terms of end use, broadly there are two types of the subject goods i.e. industrial and pharmaceutical grade. The industrial grade is used in refrigeration and air-conditioning etc, whereas the pharmaceutical grade, which the domestic industry calls as propellant grade, is used as a drug propellant mainly for human consumption. The plant and machinery, raw materials and the process of production of both the types are same. The differences between the two is only the level of purity, the purity required for the pharmaceutical grade meant for human consumption is minimum 99.98%. This being a sunset review, the Authority has adopted the same methodology for injury analysis as was done in the original investigation.

60. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles..." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

61. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.

62. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from the subject country are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing anti-dumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.

63. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.

64. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s SRF Limited. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:-

Volume Effect

Demand and market share

65. The Authority has considered the transaction-wise import data procured from DGCI&S for the assessment of volume and value of imports from the subject country and other countries. Demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales and imports from all sources. Exports made by the domestic industry have been excluded from the computation in order to ascertain apparent consumption. The demand so assessed is shown in the table below:

Parameters	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Subject country- China PR	MT	1,350	1,491	1,088	1,316
Packed	MT	181	316	113	183
Unpacked	MT	1,169	1,174	975	1,132
Other Countries	MT	2,230	3,094	2,836	2,439
Total Import	MT	3,579	4,585	3,924	3,755
Sales of Domestic Industry	MT	2,977	2,730	2,962	3,297
Assessed Demand	MT	6,556	7,315	6,886	7,051
Market Share in Demand					
Subject country- China PR	%	20.58	20.38	15.81	18.66
Packed	%	2.75	4.33	1.64	2.60
Unpacked	%	17.83	16.05	14.16	16.06
Other Countries	%	34.01	42.30	41.18	34.59
Total Import	%	54.59	62.68	56.99	53.25
Sales of Domestic Industry	%	45.41	37.32	43.01	46.75
Assessed Demand	%	100.00	100.00	100.00	100.00

66. The Authority notes that demand for the product under consideration has increased in the POI as compared to base year as well as previous year. The market share of the subject country has marginally declined during the POI as compared to the base year, but increased as compared to the immediate preceding year. The market share of the domestic industry has remained almost at the same level as that in the base year.

Import volumes and share of subject country:

67. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

“While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India”

68. The import volumes and values for the injury period, considering the transaction wise data provided by DGCI&S are as under:

Particular	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Imports Volume					
Subject Country - China PR	MT	1,350	1,491	1,088	1,316
Other Countries	MT	2,230	3,094	2,836	2,439
Total Import	MT	3,579	4,585	3,924	3,755
Packed Imports					
Subject Country - China PR	MT	181	316	113	183
Other Countries	MT	125	115	315	420
Total Import	MT	306	431	428	603
Unpacked Imports					
Subject Country - China PR	MT	1,169	1,174	975	1,132
Other Countries	MT	2,104	2,979	2,521	2,019
Total Import	MT	3,273	4,154	3,496	3,151
Imports Value					
Subject Country - China PR	RsLacs	4,052	3,703	2,053	2,378
Other Countries	RsLacs	7,039	11,518	9,346	7,308
Total Import	RsLacs	11,091	15,220	11,398	9,687
Packed Imports					
Subject Country - China PR	RsLacs	573	1,010	263	434
Other Countries	RsLacs	540	556	1,203	1,350
Total Import	RsLacs	1,112	1,566	1,465	1,784
Unpacked Imports					
Subject Country - China PR	RsLacs	3,479	2,692	1,790	1,945
Other Countries	RsLacs	6,499	10,962	8,143	5,958
Total Import	RsLacs	9,978	13,654	9,933	7,903
Imports Price					
Subject Country - China PR	Rs/Kg	300	248	189	181
Other Countries	Rs/Kg	316	372	330	300
Total Import	Rs/Kg	310	332	290	258
Packed Imports					
Subject Country - China PR	Rs/Kg	317	319	232	237
Other Countries	Rs/Kg	431	485	382	321
Total Import	Rs/Kg	364	363	342	296
Unpacked Imports					
Subject Country - China PR	Rs/Kg	298	229	184	172
Other Countries	Rs/Kg	309	368	323	295
Total Import	Rs/Kg	305	329	284	251

69. From the above information, the Authority notes that:

- The import volume from China has remained quite significant in absolute terms throughout the injury period, despite anti dumping duty imposed;
- The demand/apparent consumption of the subject goods has remained almost in the same region over the period;
- Volume of imports from China PR in absolute terms has consistently increased, except 2013-14.

70. As per the information given below, subject country's imports have remained significant in relation to Indian production and consumption.

Subject country Imports	Units	2011-12	2012-13	2013-14	POI
In Relation to Consumption	%	20.58	20.38	15.81	18.66
In Relation to Indian Production	%	36.22	52.24	32.98	29.54

PRICE EFFECT

Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

71. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of Annexure III of the Anti-dumping Rules. The position is as follows:

Price Undercutting

72. The Authority has made price undercutting analysis as below:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Total Imports					
Landed Value	Rs./KG	334.45	263.82	200.27	191.97
Net Sales Realisation	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	15-25	25-35	35-45	35-45
Packed					
Landed Value	Rs./KG	353.32	339.04	246.55	251.23
Net Sales Realisation	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	35-45	30-40	40-50	35-45
Un-Packed/Loose					
Landed Value	Rs./KG	331.54	243.55	194.90	182.38
Net Sales Realisation	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	15-25	30-40	35-45	35-45

73. The Authority notes that the landed price of imports (after including basic customs duties) has been significantly below the selling price of the domestic industry, both, in packed and unpacked form; thus, resulting in significant price undercutting. The current price undercutting levels establishes that the imports are likely to undercut the prices of the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.

Price Underselling

74. For the purpose of determining price underselling, the landed value of the imports from subject country has been compared with the non-injurious price of the domestic industry determined for the POI. In view of significant difference in the cost of production of packed and unpacked form of the subject goods, separate price underselling has been determined for each form of subject goods sold by the domestic industry and imported into India. The eventual price underselling has been determined for the 'product under consideration' as a whole by considering associated import volumes. The price underselling on the basis of weighted average figures shows as follows:

Particular	Unit	Packed	Unpacked	Weighted Average
Non Injurious Price (NIP)	US\$/Kg	***	***	***
Landed Price	US\$/Kg	4.08	2.96	3.11
Price Underselling	US\$/Kg	***	***	***
Price Underselling	%	***	***	***
Price Underselling	% Range	80-90	85-95	85-95

75. The Authority notes that during the POI, the price underselling was significantly positive for both packed and unpacked form, as well as for the product as a whole.

Price suppression and depression effects of the dumped imports:

76. The price suppression and price depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject country in relation to injury period including POI.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>93</i>	<i>105</i>
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>88</i>	<i>77</i>	<i>74</i>
Landed Value	Rs/Kg	334.45	263.82	200.27	191.97
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>79</i>	<i>60</i>	<i>57</i>

77. From the above information, the Authority notes that:

- The landed price of imports is significantly below the selling price of the domestic industry throughout the injury period including the period of investigation.
- Imports have had significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market. Whereas costs of subject goods increased in the year 2012-13 and POI, selling price declined with the decline in the import prices over the injury period.

Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry

78. Annexure II to the Antidumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a

bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, Capacity, Capacity utilization and Sales

79. Performance of the domestic industry with regard to Production, Capacity, Capacity utilization and Sales are as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Capacity	MT	5,000	5,000	5,000	11,250
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>225</i>
Production	MT	3,726	2,853	3,300	4,454
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>77</i>	<i>89</i>	<i>120</i>
Capacity Utilization	%	75	57	66	40
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>77</i>	<i>89</i>	<i>53</i>
Domestic Sales	MT	2,977	2,730	2,962	3,297
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>92</i>	<i>99</i>	<i>111</i>

80. From the information given above, the Authority notes that:

- The domestic industry enhanced capacity in POI. The petitioner has claimed that such enhancement in capacity is fully justified by the present and potential demand for the product in the Country.
- The production of the domestic industry declined in 2012-13, and then increased in 2013-14 and the POI. Capacity utilization of the domestic industry declined significantly in the POI as the domestic industry was unable to increase production with the increase in capacity.
- Sales volume of the domestic industry reflects a trend similar to production over the injury period. The petitioner has claimed that they had no option but to produce and sell the product even by lowering their prices to match with the import prices, in order to utilize and prevent idling of production facilities.
- Cessation of anti dumping duties would result in increased importation of the imported product. This would directly imply decline in the demand of the domestic industry's product, which is likely to result in decline in production of the domestic industry.

Inventories

81. From the information given below, the Authority notes that the average inventory levels of the domestic industry have increased over the injury period.

Parameters	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Average stock	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>106</i>	<i>218</i>

Profits, return on investment and cash flow

82. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow over the injury period was as follows:

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>109</i>	<i>93</i>	<i>105</i>
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>88</i>	<i>77</i>	<i>74</i>

Profit/Loss	Rs/Kg	***	***	***	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>(9)</i>
Profit/Loss	Rs.Lacs	***	***	***	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>30</i>	<i>33</i>	<i>(10)</i>
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>43</i>	<i>44</i>	<i>32</i>
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>33</i>	<i>36</i>	<i>(3)</i>
ROCE	%	***	***	***	(***)
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>(0)</i>

83. From the above information, the Authority notes that:

- Though the cost increased in the POI, selling price has declined over the injury period resulting in decline in profits to such an extent that the domestic industry has suffered losses in the POI.
- Cash profits and profit before interest and tax have declined over the injury period.
- The Return on Capital Employed also shows the same trend as cash profit.

84. The Authority notes that the domestic industry has not been able to earn reasonable profits due to continued dumping of the product under consideration. Further, the import prices of the subject country declined over the injury period. With the dumped imports entering the Indian market, the domestic industry, in order to sustain in the market, was left with no option but to sell the goods at sub-optimal prices. The petitioner has claimed that the domestic industry was prevented from charging a fair price for its product.

Employment and wages

85. From the information given below, the Authority notes that the employment with the domestic industry has increased over the injury period. Wages paid have also increased, except a decline in 2013-14. The Authority notes that these parameters are dependent on a number of other parameters and not reflective of impact of dumping on the domestic industry. Whereas, productivity per day has increased in tune with increase in production in the POI; productivity per employee reflects a decline in the POI as the number of employees has increased.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>154</i>	<i>250</i>
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>81</i>	<i>151</i>
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>77</i>	<i>89</i>	<i>120</i>
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>69</i>	<i>58</i>	<i>48</i>

L. Magnitude of dumping

86. The Authority notes that the dumping margin of the imports from the subject country is substantial.

M. Growth

87. The Authority notes that the growth of the domestic industry in terms of production, sales volume and cost of sales has shown a positive trend, whereas the selling price and profit have shown negative trend. The petitioner has claimed that this is due to continued presence of dumped imports.

Growth year by year	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	POI
Production	%	-	-23.42	15.67	34.96
Domestic Sales Volume	%	-	-8.30	8.49	11.30
Cost of Sales	%	-	8.79	-14.56	12.84
Selling Price	%	-	-11.67	-13.09	-3.44
Profit/ Loss per unit	%	-	-66.92	-0.10	-127.14

Ability to raise Capital Investment

88. The Authority notes that the domestic industry has enhanced capacity for production of product under consideration, which would be significant enough to meet the demand in the country and country would be self sufficient. Dumping of the product would, therefore, affect the investments and expanded plant.

N. CAUSAL LINK

89. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

(a) Volume and prices of imports from third countries

90. The Authority notes that during POI, imports of the subject goods from countries other than the subject country have been de-minimis in volume, except USA. The domestic industry has filed an anti-dumping petition in respect of imports from USA.

(b) Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

91. The Authority notes that there is no contraction in the demand during injury period. Demand for the product has increased over the injury period. The Authority further notes that the domestic industry has expanded its capacity over the injury period. However the domestic industry is unable to utilize its capacity to the extent of available demand due to dumped imports. The Authority notes that there is no change in the pattern of consumption with regard to the product under consideration.

(b) Developments in technology

92. The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

(c) Conditions of competition and trade restrictive practices

93. The Authority notes that the subject goods are freely importable. There is no trade restrictive practice, which could contribute to the injury to the domestic industry.

(d) Export performance of the domestic industry

94. The export performance of the domestic industry is not relevant since price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry. Hence, claimed injury to domestic industry cannot be attributed to exports.

Magnitude of Injury and Injury Margin

95. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the imports from the subject country for determination of injury margin during POI. In view of significant difference in the cost of production of packed and unpacked form, separate non injurious price has been determined for each form of the subject goods sold by the domestic industry. Eventual injury margin has been determined for the 'product under consideration' as a whole by considering associated import volumes. The injury margin determined on the basis of weighted average figures shows as follows:

Particular	Unit	Packed	Unpacked	Weighted Average
Non Injurious Price (NIP)	US\$/Kg	***	***	***
Landed Price	US\$/Kg	4.08	2.96	3.11
Injury Margin	US\$/Kg	***	***	***
Injury Margin	%	***	***	***
Injury Margin	% Range	80-90	85-95	85-95

96. From the aforesaid information, the Authority notes that during POI, the injury margin is significantly positive in respect of both, packed and unpacked form as well as for the product under consideration as a whole.

O. Conclusion on material injury

97. The investigation has thus shown that imports from subject country have remained significant despite anti-dumping duty, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices, there has been significant price undercutting and underselling effect by the dumped imports from China PR and the effect of such imports was to depress prices to a significant degree. With regard to consequent impact of the dumped imports from China PR on the domestic industry, the investigation has shown that performance of the domestic industry has deteriorated significantly in terms of parameters such as capacity utilisation, profits, cash profits and return on investment. The investigation has thus shown that the domestic industry has suffered continued injury from the dumped imports of subject goods from China PR.

P. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

Submissions by the Domestic Industry

98. The domestic industry submitted as under in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- Significant dumping margin during POI establishes that the dumping is likely to continue and intensify in the event of cessation of present anti dumping duty.
- Imports made into the domestic market have been made at dumped prices despite imposition of anti-dumping duty. Decline in the import volume is not just only due to the imposed anti dumping duty but also due to the change in global scenario.
- Domestic industry suffered injury as a result of dumping from subject country even after the imposition of anti dumping duty. Further, the domestic industry is earning low rate of return, which has declined in last two years. The domestic industry is looking for reasonable profits and return on investments. It was expected that the condition of the domestic industry would improve under the discipline of the anti dumping duty. However, the condition of the domestic industry remains fragile.
- Dumping existed during the entire injury period. Also, high dumping margins existed during the previous anti dumping investigations. This clearly leads to an implication of likelihood of injury to the Domestic Industry.
- Producers from subject country have significant capacity which establishes that in the event of revocation of duties, exports to India will intensify.
- The exporters from subject country are exporting the product under consideration to third countries at dumped prices.
- Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant in case of China PR. The price undercutting without prevailing anti-dumping duties is positive. The return on investment and cash profit would also be significantly negative in the event of cessation of anti dumping duty.

- viii. The import prices are materially below selling price of the domestic industry. The consumers would therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.
- ix. The domestic industry is already suffering price depression due to dumped import prices which are even below cost of sales of the domestic industry. In case of revocation of anti-dumping duty, the domestic industry shall have to reduce their selling price further to compete with dumped imports, driving it even below the cost of sales; leading to severe price injury.
- x. The foreign producers are intensely focused on exports. In the event of cessation of anti dumping duty, these exporters are likely to increase their exports to India at dumped prices.
- xi. The Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of low priced imports from the subject country in the market shall definitely cause an adverse impact on the domestic industry. So dumping and consequent injury to the domestic industry is likely to continue/increase in the event of cessation of anti dumping duty.

Submissions made by the producers/exporters, importers and other opposing interested parties

99. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury¹:

- i. Domestic Industry has not provided any post POI data to indicate continuance of dumping or injury being caused to it, in order to claim likelihood of recurrence of dumping and injury.
- ii. The volume of imports is so low that there exists no likelihood of recurrence of injury to the domestic industry by the volume of subject imports.
- iii. There has been no imposition of antidumping duty by the United States International Trade commission. With no active trade barrier in any country on imports from China PR, there is no likelihood that imports shall increase in the event of withdrawal of antidumping duty.
- iv. The Designated Authority must undertake the 'likelihood determination' as per obligations under Article 11.3, under which an enquiry must resolve the question of whether the cessation of the anti-dumping duty would likely lead to a continuance or recurrence of dumping and injury.
- v. The Domestic Industry has received adequate protection from the Designated Authority since the imposition of provisional duty in the original investigation, which was confirmed by a definitive levy of anti-dumping duty. Despite such adequate protection, the Domestic Industry is deceptively claiming likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury without any supporting data.
- vi. The domestic industry has not drawn a link between the alleged presence of excess capacities and the recurrence of injury. Even if the Designated Authority were to presume that there existed excess capacities, the presence of such data itself cannot be a ground for the extension of anti-dumping duties.

Examination by the Authority

100. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of anti-dumping duty is warranted. This also requires examination whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.

101. The Authority notes that in the present investigation, despite imposition of anti-dumping duties, there is continuous dumping of the subject goods from China PR causing continued injury to the domestic industry, which ipso facto indicates likelihood of continued/intensified dumping of subject goods from the subject country causing continued/aggravated injury to the domestic industry. In view of the continued dumping and injury to the domestic industry, likelihood analysis for establishing likely dumping and injury becomes irrelevant. However, due to favorable market conditions prevailing in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned and considering capacities being held by the Chinese industries for the subject goods and their export orientation, the Authority notes that in the event of cessation of anti-

dumping duties, dumping may intensify from China PR. The following analysis would show about the likelihood of continuation/intensification of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duties:

(i) **Level of current and past dumping margin**

102. The level of dumping margin in respect of China in the earlier as well as present investigations is significant. Despite the Indian industry holding significant capacity to meet the demand, the imports of the subject goods from the subject country still continues at dumped prices. Given the level of price undercutting, effects from the imports of subject goods from China PR, the volume of dumped imports is likely to increase further in the event of revocation of antidumping duty.

(ii) **Price attractiveness of Indian market**

103. The prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the Indian market. Therefore, in case of expiry of duty, exports from the subject country would further channelize their output in the Indian market in view of significant capacity with them. This clearly would result in likelihood of injury to the domestic industry. Imports from subject country are likely to undercut the prices of the Domestic Industry in the event of cessation of anti dumping duty. The price undercutting is likely to force the Domestic Industry to reduce its prices further.

(iii) **Export orientation of producers in the subject country**

104. The domestic industry has contended that the exporters in the foreign producers are intensely focused on exports. In the event of cessation of duty, these exporters are likely to increase their exports to India at dumped prices.

(iv) **Huge production capacity in the subject countries**

105. The evidence provided by the domestic industry shows that China PR has surplus capacity which is capable of getting dumped in to Indian market in the event of cessation of the anti dumping duties.

(v) **Price undercutting and price depression in the absence of measures**

106. The prices at which subject goods are being imported from China PR are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in the event of cessation of the anti-dumping duties, it is likely that exporters from the subject country may channelize their output in the Indian market in view of the significant capacities being held by them.

Q. Post Disclosure Comments

107. The following are the post disclosure comments made by the opposite interested parties and considered relevant by the Authority:

- i. The timeframe provided by the Authority to file comments on the disclosure statement is inadequate.
- ii. The summary of import data claimed by the petitioner in its petition does not match with the T by T data and also does not match with the import volumes considered by the Authority in the disclosure statement.
- iii. The Authority has relied upon DGCI&S import statistics in the present Investigation. It is requested that the same may be provided to Respondent in soft copy – in both raw and sorted form.
- iv. According to the import data relied upon by the petitioner, large volumes of imports relate non-PUC items. In order to show higher imports, the petitioner has included Pharma Grade R -134a in the imports volume for the period of review.
- v. SRF still does not have technology and capabilities to manufacture Pharma Grade R 134a. Pharma Grade imports have been included in import data to show that imports from USA and Europe into India are not causing injury to the Domestic Industry.
- vi. Production of Pharma grade requires further process after R 134a is produced. R-134a is used for making Pharma grade R-134a. Both are different grades and categories. During the period of review SRF was not manufacturing Pharma Grade R 134a. SRF acquired DuPont's Global HFC 134a Regulated Medical Pharmaceutical in 2015.

- vii. DGAD has worked out Dumping and Injury Margins separately for Can form and ISO tank form of the R 134a. Both these types of products have huge price and cost variations. Separate rates of duty may be prescribed for both types of products.
 - viii. The Disclosure Statement does not disclose the methodology adopted by the authority for determining normal value. It does not mention whether it relied upon domestic prices or international prices of raw materials to calculate the raw material costs to arrive at the cost of production. Authority should adopt international prices of raw materials to work out the normal value as per its consistent practice.
 - ix. Imposition of anti-dumping measures would be detrimental to the Indian users of the product concerned, as anti-dumping measures would force them to bear considerable additional costs.
 - x. Both the producers and their trading companies have fully cooperated with the Authority. Rejection of their responses is not justified.
 - xi. Export from exporting country or territory is complete when goods are cleared by the customs authority of the exporting country. Therefore, in the instant case, subject goods were exported from China PR once the same are cleared by the Chinese customs and the price at which these goods are cleared by Chinese customs authorities is the export price for exports to India. The Authority should adopt the same for computing Dumping Margin. In an event there is no export price or the same is unreliable due to association or compensatory arrangement between exporter, importer or third party (namely trader), the investigating authorities can construct the export price as price to first independent buyer whether located in India or outside India.
 - xii. There is no causal link between alleged dumping and injury. Domestic industry's volume of domestic sales is increasing during the POI and on the contrary exports from China are declining despite increase in demand by about 10%. Imports from other countries have increased whereas imports from China PR have declined sharply. Sales of the Domestic Industry have increased. Decline of export sales of the Domestic Industry had significant negative impact on the Domestic Industry's operation.
 - xiii. When the imports were at its peak the Domestic Industry was earning profit. With decline in imports the Domestic Industry has started incurring losses and that too when the same realization of the Domestic Industry was at its peak. There is no correlation between the behaviour of domestic prices and imports volumes. This clearly shows that imports are not causing injury to the Domestic Industry.
 - xiv. The nature of enquiry adopted in an original investigation and a sunset review is entirely different. While the enquiry adopted in an original investigation involves a determination of a dumping margin and the establishment of material injury, as per Indian practice, the enquiry adopted under Article 11.3 of the WTO ADA involves, in addition, a determination of whether it is likely that there will be a continuance or recurrence of dumping. Designated Authority must undertake 'likelihood determination' as per obligations under Article 11.3.
 - xv. The Designated Authority has wrongly granted 22% rate of return to the domestic industry.
 - xvi. The power of the Authority in a sunset review is restricted only to the continuation or withdrawal of Duty and not for its enhancement.
108. The following are the post disclosure comments made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:
- i. The product under consideration continues to enter the Indian market, from China PR, at dumped prices. Further, the dumping margin from subject country is more than de-minimis.
 - ii. Since the PUC for the present sunset review remains the same as that in original investigation, so the methodology of injury analysis also remains the same as that in the original investigation and therefore grade wise examination is not required.
 - iii. The injury analysis done clearly establishes the injurious impact of the imports of subject goods from China PR. Further, the domestic industry has already filed an antidumping application against USA.
 - iv. The domestic industry expanded its capacity owing to the increasing demand. The idle capacity of the domestic industry does not obviate the injurious effect of the dumped imports from China.

- v. The present investigation is a sunset review investigation so the same methodology for injury analysis has been adopted as was done in the original investigation. Therefore the grade wise examination of injury analysis of various grades of PUC is not required.
- vi. despite imposition of anti-dumping duties, there is continuous dumping of the subject goods from China PR causing continued injury to the domestic industry, which clearly indicates likelihood of continued dumping of PUC from China PR.
- vii. Form of anti-dumping duty should be kept the same as original investigation and the duty should be imposed in terms of US\$. The form of measure is required to be kept as fixed quantum of duty from the subject country.
- viii. Product under consideration continues to be exported to India at dumping prices from the subject country. Dumping is likely to intensify in the event of cessation of anti dumping duties.
- ix. Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive. Domestic industry is likely to suffer injury in the event of cessation of anti dumping duties.
- x. The quantum of anti dumping duty is required to be enhanced and extended further for a period of five years.

Examination by the Authority

109. As regards the contention that the timeframe provided by the Authority to file comments on the disclosure statement is inadequate, the Authority notes that the provided time frame was reasonable in view of the time bound nature of anti-dumping investigations.

110. As regards the contention that the summary of import data claimed by the petitioner in its petition does not match with the T by T data and also does not match with the import volumes considered by the Authority in the disclosure statement, the Authority notes that the petitioner at the stage of filing the petition had relied upon the secondary source of data. But, as already explained in the procedure portion of this finding, post initiation, Authority has relied upon the imports data obtained from the DSGCI&S. Further, the required analysis has been done in this finding only by taking the product under consideration.

111. With regard to the contention that the domestic industry does not have technology and capability to manufacture Pharma Grade R 134a, the Authority notes that in terms of end use, broadly there are two types of the subject goods i.e. industrial and pharmaceutical. The industrial type is used in refrigeration and air-conditioning etc, whereas the pharmaceutical type is used as a drug propellant mainly for human consumption. The plant and machinery, raw material and the process of production of both the types are same. The differences between the two are only the level of purity, the purity required for the human consumption is minimum 99.98%. However, the cGMP approved Pharma grade is excluded from the purview of the PUC, since the same is neither produced by the domestic industry nor imported from the subject country.

112. As regards the contention that separate rates of duty may be prescribed for the packed and bulk R134a as separate dumping and injury margin has been worked out, the Authority notes that for ensuring fair comparison, the dumping and injury margins have been determined separately for bulk and packed imports and thereafter weighted averaged for the necessary recommendations. In terms of the rules, the dumping margin and injury margin and the consequent anti-dumping measures are required to be determined for the product under consideration as a whole.

113. As regards the contention that the disclosure statement does not disclose the methodology adopted by the authority for determining normal value, the Authority notes that the methodology adopted for determination of normal value has been well explained in the relevant portions of this finding.

114. As regards the contention that imposition of anti-dumping measures would escalate the cost of the product under consideration and therefore it would be detrimental to the users, the Authority notes that the purpose of anti-dumping measures is to neutralize the injurious effect of dumping and to create a level playing for the domestic industry vis-à-vis the dumping. Further, the imposition of anti-dumping measures does not prevent imports.

115. As regards the contention that since the producers and their trading companies have fully cooperated with the Authority, the rejection of their responses is not justified, the Authority notes that the issue has been well examined and explained in the relevant portions of this finding. Lack of complete participation of exporters limits the authority's scope to determine dumping margin meaningfully. Without complete

information being filed by the producers/exporters involved in the transactions, it is neither feasible nor desirable for the Authority to determine individual margins.

116. As regards the contention that Authority must undertake likelihood determination in every investigation, the Authority reiterates that in the present investigation there is continuous dumping of the subject goods from China PR causing continued injury to the domestic industry, which ipso facto indicates likelihood of continued dumping of subject goods from the subject country causing continued injury to the domestic industry. In view of the continued dumping and injury to the domestic industry, likelihood analysis for establishing likely dumping and injury is irrelevant. However, the Authority has made the likelihood analysis in the relevant portions of this finding.

117. As regards the contention that DGCI&S import statistics relied upon by the Authority in the present investigation should be provided to the interested parties, the Authority notes that the said data furnished by the domestic industry has been made available in the public file.

118. As regards the contention that the Disclosure Statement does not disclose the methodology and the source of raw material prices adopted by the authority for determining normal value, the Authority notes that the methodology of determination of the normal value has been well explained in the relevant portions of this finding. Nevertheless, at the cost of reiteration it is stated that considering China PR as a non market economy, the constructed normal value has been determined in terms of second proviso of Para 7 of Annexure 1 to the Rules in accordance with consistent practice of the DGAD by using the best available information on referring the best utilization norm of the raw materials and the optimum cost of utilities, conversion cost, SGA expenses and interest cost of domestic industry.

119. As regards the contention that authority grant of 22% rate of return to the domestic industry is wrong, the Authority notes that the same has been done as per the consistent practice in the DGAD.

120. As regards the contention that the power of the authority in a sunset review is restricted only to the continuation or withdrawal of duty and not for its enhancement, the Authority notes that no such restriction has been envisaged in the Rules.

R. CONCLUSIONS

121. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence/intensification of dumping and injury, the Authority concludes that:

- i. There is continued dumping of the product concerned from China PR, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India causing injury to the domestic industry.
- ii. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. Further, imports are depressing the domestic prices.
- iii. The financial performance of the Domestic Industry has deteriorated in terms of profits, return on investments and cash flow. The dumped imports from China PR continue to cause injury to the domestic industry.
- iv. Dumping of the product under consideration from China PR is likely to continue should the current antidumping duty ceases.

S. RECOMMENDATIONS

122. Having concluded as above, the Authority is of the view that the anti-dumping measures are required to be extended in respect of China PR as specified in the duty table below. Therefore, Authority considers it necessary to recommend continued imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods from China PR in the form and manner as described in the duty table given below.

123. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the amount indicated in Col. 8 of the table below is recommended to be imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR.

DUTY TABLE

Sl. No.	Subheading of Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measurement	Currency
1	29033919	1,1,1,2-Tetrafluoroetha or R-134 a *	China PR	China PR	Any	Any	1.22	KG	US \$
2	-do-	-do-	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	1.22	KG	US \$
3	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	1.22	KG	US \$

* Note: The cGMP certified R134a is excluded from the purview of the PUC.

T. Further Procedures

124. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

A. K. BHALLA, Designated Authority & Addl. Secy.